धर्म समाज कॉलिज

अलीगढ़–202 001

(डॉ० ीमरावअ म्बेडकरि विश्वविद्यालय,अ ागरास`स म्बद्ध)

(Accredited B++ by NAAC)

College with Potential for Excellence (CPE) Awarded by UGC, New Delhi

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय	प ृष्ठस ंख्या
1.	कॉलिज संस्थापक का परिचय	2
2.	कॉलिज का परिचय	2
3.	प्रवेशार्थियों के लिए अति आवश्यक सूचनाएँ	6
4.	अध्ययन विषय	8
5.	स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	10
6.	विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्थानों का विवरण	11
7.	उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में प्रवेश के सम्बन्ध में सूचनाएँ	12
8.	प्रवेश नियम, निषेध एवं निरस्तीकरण	14
9.	डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, प्रवेश नियमावली	17
10.	अनुमोचन, विद्यार्थी सहायता कोष तथा छात्रवृत्तियाँ	26
11.	विद्यार्थियों द्वारा ध्यान देने तथा पालन करने हेतु नियम	28
	(क) अनुशासन विभाग	28
	(ख) शिष्टाचार सम्बन्धी सामान्य नियम	28
	(ग) आचार संहिता	29
	(घ) चरित्र प्रमाण पत्र	30
	(ङ) रेल अथवा बस किराया अनुमोदन	30
	(च) कार्यालय नियम	30
12.	विशिष्ट योजनाएँ	31
	(क) पुस्तकालय एवं वाचनालय	31
	(ख) बुक बैंक	31
	(ग) एन0सी0सी0 (N.C.C.)	31
	(घ) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)	32
	(ङ) रोवर्स / रेंजर्स	32
	(च) क्रीड़ा	32
	(छ) हेल्प डेस्क	33
	(ज) कॉलिज पत्रिका	33
	(झ) अन्य सुविधाएँ	33
13.	शिक्षक वर्ग	34
14.	विभिन्न समितियों के संयोजक	37
15.	वार्षिक शुल्क विवरण तथा सारणी	39—40
16.	प्रवेश फार्म	41—42

1. कॉलिज संस्थापक का परिचय

''धर्म समाज'' मात्र एक महाविद्यालय का ही नहीं, अपितु एक संस्था–समूह का नाम है जिसका गौरवशाली इतिहास बड़ा ही विस्तृत है। जिज्ञासुओं की जानकारी के लिये यहाँ इस महान संस्था–समूह और उसके **संस्थापक दानवीर राय बहादुर बद्रीप्रसाद जी** का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

धर्म समाज संस्था–समूह के संस्थापक राय साहब जी का जन्म स्व0 लाला राम नारायण जी के समृद्ध परिवार में आगरा में हुआ था। आपके पूर्वज मूलतः नारनौल के निवासी थे जो किसी समय नारनौल छोड़कर आगरा आ बसे थे। राय साहब जी का जन्म आगरा में ही हुआ, किन्तु वे वहाँ स्थायी रूप से न रहे और दिल्ली चले गये। 1856 में उन्हें राजनीतिक कारणों से दिल्ली छोड़कर अलीगढ़ आना पड़ा और अपने तपस्वी जीवन की शानदार यात्रा के अन्तिम दिन, अर्थात 9 अगस्त 1897 तक अलीगढ़ रहे। इस प्रकार 1856 से 1897 की 41 वर्ष की दीर्घावधि के लिये अलीगढ़ ही उनका कर्मस्थल रहा। इन 41 वर्षों में राय साहब जी ने शिक्षा क्षेत्र में इतना योगदान किया कि अलीगढ़ धन्य हो गया। अलीगढ़ का शिक्षा–जगत **राय बहादुर बद्रीप्रसाद जी** के ऋण से कभी उऋण हो सकेगा, यह सर्वथा असम्भव प्रतीत होता है। **राय साहब जी** वैदिक धर्म से अनुप्राणित थे और महर्षि दयानन्द के सच्चे अनुयायी थे। फाल्गुन बदी सप्तमी सं0 1927 वि0 (सन् 1870 ई0) के दिन उनकी सत्प्रेरणा एवं प्रयास के फलस्वरूप ''सत्य धर्म समाज'' नामक एक सभा की स्थापना हुई, जिसकी नियमावली में सभा के प्रथम प्रयोजन का उल्लेख इन शब्दों में किया गया था – ''सर्वोत्तम वेदोक्त धर्म और भक्ति और ज्ञान की प्रवृत्ति और अविद्या महामोह और अधर्म मार्ग की निवृत्ति का उपाय करना।'' पाँचवें उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया था – ''संस्कृत विद्या की वृद्धि के निमित्त पाठशाला का नियत करना।'' सभा के ये लक्ष्य मानो राय साहब जी के जीवन–ध्येय ही बन गये, जिनकी सम्प्राप्ति के लिये उन्होंने अपने जीवन के 41 बहुमूल्य वर्षों के अतिरिक्त अपना सर्वस्व–तन, मन और धन अर्पित कर दिया। राय साहब जी ने शिक्षा के माध्यम से वैदिक धर्म, संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का प्रचार–प्रसार और हिन्दू समाज का सुधार करने के लिये न केवल **सत्य धर्म समाज** की स्थापना की, अपितु **''धर्म समाज पत्त''** नामक एक पत्रिका भी निकाली और उसका सम्पादन किया । हिन्दू समाज का सुधार करने के उद्देश्य से उन्होंने सन् 1868 में ''इण्डियन लीग'' नामक एक संगठन भी खड़ा किया। सन् 1856 में दिल्ली से अलीगढ़ आने के बाद **राय साहब जी** ने अचल ताल के पास अपने ''अचल कोठी'' नामक भवन का निर्माण कराया और वकालत को अपना व्यवसाय बनाया। सम्प्रति धर्म समाज कॉलिज जिस भू–भाग पर विद्यमान है, वह वस्तुतः लाला राय बद्री प्रसाद जी की कोठी और वाटिका का ही भू–भाग है। सन् 1909 में जब धर्म समाज हाई स्कूल की स्थापना हुई, तब **राय साहब जी** की कोठी और वाटिका स्कूल के लिये दान कर दी गयीं। इस समय धर्म समाज इण्टर कॉलिज जिस भू–भाग पर विद्यमान है, वहाँ पहले एक सरकारी मिडिल स्कूल चलता था। सन् 1947 में जब **धर्म समाज महाविद्यालय** अस्तित्व में आया तब धर्म समाज इण्टर कॉलिज को मिडिल स्कूल वाले भवन एवं भू–भाग पर स्थानान्तरित किया गया और सेठजी की कोठी तथा वाटिका वाले भवन तथा भू–भाग पर धर्म समाज महाविद्यालय का शुभारम्भ किया गया। बस यही महान् दानवीर, शिक्षा–प्रेमी, समाज सुधारक एवं धर्मनिष्ठ राय बहादुर बद्री प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है।

2. कॉलिज का परिचय

कॉलिज स्थापना के इतिहास में यह एक सत्य है कि स्व0 राय साहब जी ने अपने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक सपनों को साकार करने के लिये फाल्गुन बदी 7, सम्वत् 1927 विक्रमी (सन् 1870 ई0) को 'सत्य धर्म समाज' नामक संस्था की स्थापना की। सत्य धर्म समाज की स्थापना के ठीक 26 दिन बाद चैत्र बदी 3 संवत् 1927 विक्रमी को धर्म समाज संस्कृत पाठशाला की नींव रखी गयी। आज वही संस्कृत पाठशाला एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर कितनी ही शाखा–प्रशाखाओं में प्रस्फुटित हो चुकी है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :

1. वटवृक्ष : धर्म समाज संस्कृत पाठशाला : 1870

(सम्प्रति धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय)

2. शाखा-प्रशाखा : 1. धर्म समाज हाई स्कूल : 1909

2. धर्म समाज इण्टर कॉलिज : 1929

3. धर्म समाज स्नातक महाविद्यालय : 1947

4. धर्म समाज स्नातकोत्तर महाविद्यालय : 1953

5. धर्म समाज बाल मन्दिर सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल : 1993

सम्पूर्ण भारत में सुविख्यात, धर्म समाज (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालयों में से एक है। यह अचल तालाब के समीप जी0 टी0 रोड, अलीगढ़ पर स्थित है। यदि जी0 टी0 रोड पर खड़े होकर कॉलिज के प्रवेश–द्वार में से देखा जाय तो प्रवेश–द्वार के ठीक सामने गाँधी वाटिका के आगे लाला राय साहब बद्री प्रसाद जी की कोठी दिखायी देती है, जिसके निचले तल में प्राचार्य कक्ष तथा कार्यालय और ऊपरी तल में धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय स्थित है।

महाविद्यालय का दृष्टिकोण :

- उत्तरदायी एवं रोजगार के प्रति जागरूक नागरिकों का निर्माण करना, जो समाज और देश के विकास में अपना योगदान कर सकें।
- छात्रों–छात्राओं को गुणात्मक एवं उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना।
- शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को ज्ञान के विकास की प्रक्रिया में सार्थक और समुचित योगदान देने योग्य बनाना।
- अकादमिक कार्यक्रमों के प्रतिपादन हेतु गत्यात्मक, नवीन और मौलिक विचारों को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर लचीले और गतिशील आदर्शों के अनुगमन के लिए प्रोत्साहित करना।
- ऐसे नैतिक मूल्यों से ओत–प्रोत स्नातक जो रचनात्मक कौशल, व्यावसायिक क्षमता, सामाजिक जागरूकता से ओत–प्रोत हों उनका निर्माण करना।
- विद्यार्थियों को शोध के नवीन क्षेत्रों की ओर प्रेरित करना।

महाविद्यालय का ध्येय :

- परिसर को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाये रखना।
- रैगिंग मुक्त परिसर।
- अध्ययन अध्यापन के उत्कृष्ट परिणामों के लिए अनुशासन बनाए रखना।
- जाति, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय आदि से मुक्त होकर छात्रों को समानता और स्वतंत्रता के भाव को सुनिश्चित करना।
- महाविद्यालय के भवन, प्रयोगशालाओं, कक्षों तथा मूलभूत सुविधाओं का निरन्तर नवीनीकरण और मूल्यांकन।

महाविद्यालय में वर्तमान में निम्न 5 संकायों, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पोषित पाठ्यक्रमों, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पाठ्यक्रमों को संचालित करने की समुचित व्यवस्था है।

संकाय

1.	विज्ञान संकाय	: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू–विज्ञान, गणित
2.	कला संकाय	: हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, सैन्य अध्ययन, भूगोल, समाजशास्त्र, चित्रकला, गणित एवं शिक्षा शास्त्र
3.	वाणिज्य संकाय	: बी0कॉम0 एवं एम0कॉम0
4.	विधि संकाय	: एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम एवं बी0ए0एल–एल0बी0 (पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम)

5. शिक्षा संकाय : बी0एड0 एवं एम0 एड0
6. प्रबन्धन पाठ्यक्रम : बी0बी0ए0
7. व्यावसायिक पाठ्यक्रम : बी0सी0ए0
8. पी0जी0डी0बी0एम
9. पी0जी0 डिप्लोमा इन लाइब्रेरी तथा इन्फोर्मेशन साइंस

उपरोक्त संकायों में कुल 25 विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिनमें 19 विषयों में स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

कॉलिज में नियमित स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 160 है तथा नियमित स्वीकृत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 122 है। महाविद्यालय में छात्रों की संख्या लगभग 8500 है। महाविद्यालय में समस्त स्नातकोत्तर विभागों में उच्चस्तरीय शोध कार्य भी होता है। विभिन्न विभागों में अलग–अलग योजनाओं के अन्तर्गत शोध अनुदान भी कॉलिज को मिलते रहते हैं।

विभिन्न विभाग अलग–अलग भवनों में स्थित हैं। छात्रों के लिये सुव्यवस्थित, सुविकसित प्रयोगशालाएँ–पुस्तकालय, खेल–कूद का मैदान एवं जिम्नेजियम हॉल आदि की समुचित व्यवस्था है। विगत वर्षों में कॉलिज के छात्र–छात्राएँ विश्वविद्यालय एवं प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा एवं खेल–कूद में अपनी योग्यताओं के मापदण्ड स्थापित करते रहे हैं। उच्चस्तरीय शिक्षण, अनुशासन, परीक्षा–परिणाम एवं अन्य उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार कॉलिज को **''मैरिट ग्राण्ट''** से भी पुरस्कृत किया है।

कॉलिज में शैक्षिक सुविधाओं के अतिरिक्त अनेक शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप भी चलते रहते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र एवं समुचित विकास के लिये वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, निबन्ध एवं कविता प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है। छात्रों के लेख आदि कॉलिज पत्रिका 'प्रदीप' में प्रतिवर्ष मुद्रित किये जाते हैं। कॉलिज अपना हीरक जयन्ती वर्ष भी मना चुका है। कॉलिज में एन0 सी0 सी0 एवं एन0 एस0 एस0 तथा रोवर्स–रेंजर्स आदि की समुचित व्यवस्था है। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं व्यावसायोन्मुख शिक्षा प्रदान करने की दिशा में इस समय कॉलिज में लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा कार्स एवं व्यावसायिक प्रबन्धन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सुविधा उपलब्ध हैं, जिन्हें डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से मान्यता प्राप्त है। महाविद्यालय में नये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने की प्रबन्धतंत्र की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस क्रम में प्रबन्ध समिति द्वारा शीघ्र बी0 फार्मा तथा डी0 फार्मा जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी सत्र तक ये कक्षायें सम्भवतः प्रारम्भ हो जायेंगी।

धर्म समाज महाविद्यालय प्रदेश के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक है। संगठित कार्य प्रणाली की परम्परा का निर्वहन करते हुये समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी छात्रों और महाविद्यालय के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। धर्म समाज महाविद्यालय आपसी सहयोग तथा धर्म निरपेक्षता की परम्परा को बनाये रखने के लिये कटिबद्ध है जिससे शिक्षा के उच्च आदर्शो को प्राप्त किया जा सके।

भवन

महाविद्यालय के विशाल प्रांगण में छात्रों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार पर्याप्त भवन हैं। प्रांगण के विभिन्न भागों में 5 उद्यान हैं तथा इन बगीचों के चारों ओर लगभग 50 कक्ष हैं। यहाँ छात्रों की नियमित कक्षाएँ समय–सारणी के अनुसार चलती हैं। भवन निर्माण योजना इस प्रकार है कि छात्रों को धूप, हवा तथा हरियालीयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके। इन सभी कक्षों में बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके साथ ही कॉलिज प्रांगण में देवालय तथा डाकघर भी है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा महाविद्यालय के निकट है, जो कि पूर्व में महाविद्यालय प्रांगण में ही हुआ करती थी।

महाविद्यालय में एक वातानुकूलित दो मंजिला विशाल **श्रीमती वैकुण्ठी देवी** पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में लगभग 1,30,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनको छात्रों को उपलब्ध करवाया जाता है। 250 से अधिक पत्रिकाएँ एवम् शोध पत्रिकाएँ नियमित रूप से मंगवाये जाते हैं। 15 से अधिक समाचार–पत्र भी प्रतिदिन पुस्तकालय में मंगाये जाते हैं। पुस्तकालय में दो अध्ययन कक्षों की स्थापना की गयी है जहां विद्यार्थी, शोधार्थी एवं शिक्षक प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक अध्ययन कर सकते हैं। कालिज की प्रबन्ध समिति पुस्तकालय को आधुनिक और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कार्यरत है। इस क्रम में ई–लाइब्रेरी की स्थापना की जा चुकी है, यहाँ छात्र ई–पुस्तकें तथा ई–शोध पत्रों को पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में एक सेमीनार लाइब्रेरी है, जिसमें परास्नातक तथा शोध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं। वर्तमान में नवनिर्मित पुस्तकालय विस्तार भवन के ऊपरी तल पर यू0जी0सी0 द्वारा पोषित रोजगार–परक कार्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस चल रहा है।

कॉलिज में खेल–कूद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। खो–खो, क्रिकेट, फुटवॉल,बास्केट बॉल, बॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस जैसे खेलों के लिए पर्याप्त स्थान व संसाधन उपलब्ध हैं। खेल के मैदान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान द्वारा बास्केटबाल के लिए पक्के कोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। खेल के मैदान को अधिक उपयोगी एवम् सुन्दर बनाने के उद्देश्य से खेल भवन का विस्तार एवम् सौन्दर्यीकरण किया गया है। खेल भवन के चारों तरफ बाउण्ड्रीवॉल है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है।

महाविद्यालय के आवासीय परिसर में एक अतिथि गृह एवं एक कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का भी निर्माण कराया गया है। अतिथि गृह में 8 कमरे हैं जो पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा जिनमें बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। इस अतिथि गृह को विश्वस्तरीय हॉकी खिलाड़ी ''पद्मभूषण मेजर ध्यानचन्द अतिथि गृह'' के नाम समर्पित किया गया है। महाविद्यालय में महिला छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें बिजली, पानी, फर्नीचर की पर्याप्त सुविधाएँ है।

महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कई सेमिनार हॉल भी हैं जिनमें समय–समय पर व्याख्यान तथा संगोष्ठी करायी जाती हैं। महाविद्यालय में 560 सीटों की क्षमता वाला **श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल ''भगत जी''** नामक एक भव्य सभागार भी है, जोकि वातानुकूलित है एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसी क्रम में कॉलिज में भवन विस्तार के लिए नयी अवधारणा पर आधारित तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भवन **श्रीमती मधु नन्दन अग्रवाल** का निर्माण कार्य कराया गया है। जिसमें 9 शिक्षण कक्ष हैं।

(3) प्रवेशार्थियों के लिए अति आवश्यक सूचनाएँ

(अ) बी०ए०, बी०एस–सी/बी०कॉम० प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी निम्न निर्देशों को ध्यान से पढ़ें :–

1. बी0ए0 में प्रवेश योग्यतांक (मैरिट) के आधार पर होगा।
2. बी0एस–सी0 तथा बी0 कॉम0 में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं योग्यतांक दोनों की संयुक्त मैरिट के आधार पर सम्पन्न होगा। प्रवेश लिखित परीक्षा बी0एस–सी0 (जेड0 बी0 सी0) हेतु एवं बी0 कॉम0 हेतु 12 जुलाई 2019 एवं बी0एस–सी0 (पी0सी0एम0) हेतु प्रवेश परीक्षा 13 जुलाई 2019 को सम्पन्न होगी।
3. प्रवेशार्थी की मैरिट सूची उसके हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
4. प्रवेशार्थी को प्रवेश उसी तिथि पर लेना होगा जिस तिथि पर उसे बुलाया जायेगा। प्रवेश तिथि निकल जाने पर वह प्रवेश से वंचित हो जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रवेशार्थी की होगी।
5. प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश समिति के समक्ष बी0ए0 हेतु 15 जुलाई 2019 एवं बी0एस–सी0 व बी0कॉम0 हेतु 20 जुलाई 2019 से प्रारम्भ होगी।

(ब) शैक्षणिक सत्र 2019–20 की स्नातक कक्षाओं–बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, के प्रथम वर्ष हेतु प्रवेश प्रक्रिया हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर होगी। प्रवेशार्थियों को प्रवेश के सम्बन्ध में सूचना डाक द्वारा प्रेषित करना सम्भव नहीं होगा। अतः प्रवेशार्थी प्रवेश योग्यता सूची कॉलिज के सूचना पट पर एवं कॉलिज की www.dspgcollege.org वेबसाइट पर देखें।

1.	पंजीकरण प्रारम्भ की तिथि	15 जून 2019
2.	पंजीकरण की अन्तिम तिथि	10 जुलाई 2019
3.	कॉलिज के सूचना पट पर योग्यता सूची का प्रकाशन बी0ए0 प्रथम वर्ष हेतु 13 जुलाई 2019 एवं बी0एस–सी0 व बी0कॉम0 प्रथम वर्ष हेतु 19 जुलाई 2019 को होगा।	
4.	प्रथम योग्यता सूची के छात्र–छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया बी0ए0 प्रथम वर्ष हेतु 15 जुलाई 2019 से 20 जुलाई 2019 तक (योग्यता सूची पर अंकित समय एवं तिथि के अनुरूप) बी0एस–सी0 व बी0कॉम प्रथम हेतु 20 जुलाई से 25 जुलाई 2019 तक	
5.	आवश्यकता पड़ने पर प्रतीक्षा सूची के छात्र–छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया बी0ए0 प्रथम वर्ष हेतु 21 जुलाई 2019 से बी0एस–सी0 एवं बी0कॉम0 प्राम वर्ष हेतु 26 जुलाई 2019 से	
6.	स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	01 अगस्त 2019
7.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अन्य कक्षाओं के प्रवेश, सम्बन्धित अर्ह परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित होने पर अंकतालिका के निर्गत होने की तिथि के 15 दिन के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे।	

(द) प्रवेश के समय प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची :

1. समस्त मूल अंक तालिकाएँ
2. स्थानान्तरण / प्रवास प्रमाण–पत्र
3. चरित्र प्रमाण–पत्र
4. पासपोर्ट साइज के तीन नवीनतम फोटोग्राफ
5. जाति प्रमाण–पत्र

6. आधार कार्ड
7. वेब रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

यदि प्रवेशार्थी उक्त अंकित अभिलेख नहीं लाते हैं तो वे प्रवेश से वंचित हो जायेंगे तथा उन्हें पुनः कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित होने की दशा में भी प्रवेशार्थी को कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा। उनके स्थान को प्रतीक्षा सूची से भर दिया जायेगा। अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी मूल अंकतालिकाओं एवं प्रमाण–पत्र लेकर उपस्थित हों।

(य) प्रवेशार्थियों को शुल्क जमा करने के लिए केवल तीन दिन का ही समय दिया जायेगा। समय पर प्रवेश शुल्क जमा न करने की दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(र) अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

(ल) एम0ए0/एम0एस–सी0 पूर्वार्द्ध प्रवेशार्थी एक से अधिक विषय के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र भरें।

(व) आवेदन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न न करने पर प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी में गणना की जायेगी।

(स) यदि कोई प्रवेशार्थी दो आरक्षित श्रेणियों में गणना कराना चाहता है तो उसे दो अलग–अलग फार्म भरने होंगे।

(श) टी0सी0, चरित्र प्रमाण–पत्र, प्रवास प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड एवं मूल जाति प्रमाण–पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी में है) आदि सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि फार्म भरने के साथ ही जमा की जाएं। बाद में कोई प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ष) एक संकाय से अन्य संकाय में स्थानान्तरण सम्भव नहीं होगा।

- **रैगिंग से बचें–क्योंकि यह अनुशासन एवं कानून विरोधी अपराध है।**
  एन्टी रैगिंग टोल फ्री नम्बर : 1800–180–5522
- **माननीय उच्च न्यायालय तथा उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निर्देशानुसार कॉलिज प्रांगण में धूम्रपान या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करना कानूनी अपराध है। महाविद्यालय परिसर में मादक पदार्थों का सेवन पूर्णतः निषेध है।**

4. अध्ययन विषय

महाविद्यालय में 5 संकायों–कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं शिक्षक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में शिक्षण की समुचित व्यवस्था है। विभिन्न संकायों में उपलब्ध पाठ्य विषयों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. कला संकाय

स्नातक स्तर (बी० ए०) : बी0 ए0 में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। अध्ययन हेतु विषय व्यवस्था निम्नलिखित है :–

(अ) अनिवार्य विषय :

1. राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन (स्नातक प्रथम वर्ष के लिये)।

(ब) ऐच्छिक विषय :

निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं **तीन विषयों** का चयन करना होगा–
अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, गणित, चित्रकला, भूगोल, राजनीति शास्त्र, रक्षा एवं स्त्राताजिक अध्ययन (सैन्य विज्ञान), समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सामान्य अंग्रेजी, हिन्दी भाषा, सामान्य संस्कृत।

विशेष :

1. कोई भी विद्यार्थी एक साथ तीन भाषा या तीन साहित्यिक विषय नहीं ले सकता।
2. कोई भी विद्यार्थी हिन्दी भाषा के साथ हिन्दी साहित्य तथा अंग्रेजी भाषा के साथ अंग्रेजी साहित्य तथा संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत साहित्य विषय नहीं ले सकता।
3. कोई भी विद्यार्थी एक साथ दो से अधिक प्रयोगात्मक विषय नहीं ले सकता।
4. एक बार विषयों का चयन करने के बाद विषयों में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा।
5. प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम होगा अतः छात्र विषयों का चयन पूर्ण विवेक के साथ करें। द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में, विषय परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। जो विषय प्रथम वर्ष में लिए गये हैं छात्र को वही विषय तीनों वर्ष पढ़ने होंगे।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष :

द्वितीय वर्ष में छात्र उन्हीं विषयों का चयन करेगा जिन विषयों में उसने प्रथम वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण की है, तृतीय वर्ष में इनमें से कोई दो विषय का चयन छात्र को करना होगा।

स्नातकोत्तर स्तर (एम० ए०) : (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) :

हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, चित्रकला, गणित एवं शिक्षाशास्त्र (स्ववित्त पोषित)।

शोध सुविधाएँ : स्नातकोत्तर स्तर के सभी विषयों में शोध कार्य की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

2. विज्ञान संकाय

स्नातक स्तर (बी०एस-सी०) : बी0एस–सी0 स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भू–विज्ञान विषयों में शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अध्ययन हेतु विषय व्यवस्था निम्नलिखित है :–

(अ) अनिवार्य विषय :

1. राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन
   (स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिये)।

(ब) ऐच्छिक विषय :

निम्नलिखित वर्ग में से किसी एक वर्ग का चयन करना है। विद्यार्थी किन्हीं दो वर्गों को वरीयता क्रम में आवेदन पत्र में लिखें :
वर्ग–1 : गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र
वर्ग–2 : गणित, भू–विज्ञान एवं भौतिकी

वर्ग–3 : रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान

वर्ग–4 : जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भू–विज्ञान।

विशेष :

1. स्थान रिक्त होने पर ही अन्य ग्रुप में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति विचार कर सकती है।
2. एक बार चयनित विषय वर्ग का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष :

द्वितीय वर्ष में विद्यार्थी उन्हीं विषयों का चयन करेगा जिन विषयों में उसने प्रथम वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं तृतीय वर्ष में केवल दो विषयों का चयन करेगा।

स्नातकोत्तर स्तर (एम०एस-सी०) : (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) :

भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भू–विज्ञान।

शोध सुविधाएँ :

स्नातकोत्तर स्तर के सभी विषयों में शोध–कार्य की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

3. वाणिज्य संकाय

स्नातक स्तर (बी०.कॉम०) :

प्रथम वर्ष : अनिवार्य विषय :

1. राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन (स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिये)।
2. व्यावसाय प्रशासन समूह
3. लेखा एवं विधि समूह
4. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र समूह

द्वितीय वर्ष : सभी विद्यार्थियों के लिए द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रमानुसार सभी विषय अनिवार्य होंगे।

तृतीयव र्ष: सभी विद्यार्थियों के लिए तृतीय वर्ष पाठ्यक्रमानुसार सभी विषय अनिवार्य होंगे।

4. शिक्षा संकाय

बी०एड० (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) : राज्य स्तर पर आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अनुसार महाविद्यालय हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

एम०एड० (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) सैमिस्टर प्रणाली : डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर महाविद्यालय हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

शोध कार्य : विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित शोध पात्रता परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध है।

5. विधि संकाय

1. कॉलिज में एल–एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम के रूप में संचालित है।
2. कॉलिज में बी0ए0एल–एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम **स्ववित्तपोषित** योजना के अन्तर्गत संचालित हैं।

6. व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा :

उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से मान्यता प्राप्त है।

1. पाठ्यक्रम अवधि : 9 माह
2. प्रवेश अर्हता : इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण
3. वार्षिक शुल्क : 4695/– + परीक्षा शुल्क

रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम :

पी०जी० डिप्लोमा इन बिजनिस मैनेजमेन्ट (पी०जी०डी०बी०एम०) :

उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा तथा शैक्षिक

योग्यता के आधार पर किया जाता है। यह पाठ्यक्रम **स्ववित्तपोषित** पाठ्यक्रम के रूप में संचालित है। यह पाठ्यक्रम डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से मान्यता प्राप्त है।

1. पाठ्यक्रम अवधि : 1 वर्ष (दो सेमिस्टर)
2. प्रवेश अर्हता : स्नातक उत्तीर्ण
3. शुल्क : रुपया 8225/प्रति सेमिस्टर

NIELT:

1. अर्हता–इण्टरमीडिएट
2. अवधि–3 माह

(i) CCC

(ii) CCC Plus

शुल्क–रुपया 2300/–

7. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में रोजगारपरक पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत चल रहे हैं। स्नातक स्तर के ये पाठ्यक्रम अलीगढ़ महानगर में अन्य स्ववित्त पोषित संस्थानों में भी संचालित हैं परन्तु धर्म समाज महाविद्यालय की पुरानी कीर्ति के अनुरूप छात्रों को अनुभवी एवं योग्य अध्यापकों द्वारा इन पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे न केवल उन्हें उच्च शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास होगा और वे भविष्य में अनेक उच्च पदों पर सुशोभित होकर स्वयं को तथा समाज को लाभान्वित कर सकेंगे।

बी०ए०एल०-एल०बी० : पंचवर्षीय स्नातक स्तर पाठ्यक्रम
प्रवेश अर्हता–इण्टरमीडिएट
वार्षिक शुल्क 10000/– प्रतिवर्ष + 300/– (प्रथम वर्ष हेतु)

बी०बी०ए० : तीन वर्षीय स्नातक स्तर पाठ्यक्रम (6 सेमस्टर)
प्रवेश अर्हता – इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण
वार्षिक शुल्क 25300/– प्रथम वर्ष

बी०सी०ए० : तीन वर्षीय स्नातक स्तर पाठ्यक्रम (6 सेमस्टर)
प्रवेश अर्हता – इण्टरमीडिएट (गणित विषय के साथ)
वार्षिक शुल्क 28300/– प्रथम वर्ष

एम० कॉम० : दो वर्षीय पाठ्यक्रम
प्रवेश अर्हता – स्नातक वाणिज्य
वार्षिक शुल्क 12000/– प्रतिवर्ष

एम० ए० (शिक्षाशास्त्र) : दो वर्षीय पाठ्यक्रम
प्रवेश अर्हता – स्नातक
वार्षिक शुल्क 12,000/–प्रतिवर्ष

नोट : 1. यदि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शुल्क में वृद्धि की जाती है तो उस दशा में छात्रों को संशोधित शुल्क देना अनिवार्य होगा।

5. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्थान

कक्षा	कुल स्थान
बी०ए० प्रथम वर्ष	640
बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष	640
बी0 कॉम0 प्रथम वर्ष	240
एम० ए० प्रथम वर्ष	
हिन्दी	80
अंग्रेजी	80
संस्कृत	80
मनोविज्ञान	60
अर्थशास्त्र	80
राजनीति–शास्त्र	80
भूगोल	60
समाजशास्त्र	80
चित्रकला	60
गणित	30
एम० एस-सी० प्रथम वर्ष	
रसायन–विज्ञान	30
भौतिक–विज्ञान	26
जन्तु–विज्ञान	26
वनस्पति–विज्ञान	26
भू–विज्ञान	15
गणित	80
बी० एड०	100
एम० एड०	50
एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष	240
स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	
1. बी0ए0 एल–एल0बी0 (पंचवर्षीय) प्रथम वर्ष	120
2. बी0बी0ए0	140
3. बी0सी0ए0	140
4. एम0ए0 (शिक्षा शास्त्र)	140
5. एम0 कॉम0	210
1. व्यावसायिक प्रशासन 70	
2. लेखा एवं विधि 70	
3. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र 70	
6. पी.जी.डी.बी.एम.	60
7. लाइब्रेरी साइंस	20

नोट–सभी वर्गो हेतु आरक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन होगा।

6. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

केन्द्र : धर्म समाज कॉलिज, अलीगढ़

(कमय ोग्यतांकह ोनेक`क ारणप्र वेशस`व ंचितछ ात्र/छात्राओं,न ौकरी-पेशाए वंअ न्यक ार्योम`ंल गीम हिलाओं/पुरुषोंक ाउ च्चि शक्षाप्र ाप्तक रनेक ास ुअवसर)

धर्मस माजम हाविद्यालयप रस ंचालितअ ध्ययनक`न्द्र (S001) एकए कह ै।इ सक`न्द्रप रस ंचालितप ाठ्यक्रमह ैं-

केन्द्र पर संचालित अनुमन्य कार्यक्रम

B.A., B.Sc., B. Com.	Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce	M.Com.	Master of Commerce
PGDT	Post Graduate Diploma in Translation	PGDJMC	Post Graduate Diploma in Journalism & Mass Communication
PGDIMB	Post Graduate Diploma in Marketing and E-Business	BBA	Bachelor in Business Administration
		BCA	Bachelor in Computer Application
DRD	Diploma in Rural Development	DCDN	Diploma in Dietetics and Nutrition
DHEN	Diploma in Health Education & Nutrition	PGDEA	Post Graduate Diploma in Educational Administration
MLIS	Master of Library & Information Science		
CCCN	Child Care and Nutrition	DECE	Diploma in Early Childhoold Care & Education
CHR	Certificate in Human Rights	DTS	Diploma in Tourism Studies
APPR	Awareness Programme in Panchayati Raj	CTS	Certificate in Tourism Studies
MJ	Master of Journalism	CNF	Certificate in Nutrition and Food
PGDMM	Post Graduate Diploma in Marketing Management	CHFE	Certificate in HIV and Family Education
		CWED	Certificate in Women Empowerment and Development
MA	Master of Arts (Psychology, English, Social Work, Hindi, Sanskrit, History, Sociology, Statistics, Political Science, Economics, Educatuion)	CCY	Certificate in Yoga
		CTEIM	Certificate in Taxation and Export Import Management

CAC	Certificate in Applied Criminology
CRJINSC	Certificate in Rural Journalism of Mass Communication
DIC	Basic Diploma in Computer
DCOM	Diploma in Computer Office Management
DHJ	Diploma in Hardware Technology
CCC	Certificate in Computer Course
CCP	Certificate in Consumer Production
CDM	Certificate in Disaster Management
DP	Diploma in Photography
CCMAP	Certificate in Cultivation of Medicinal and Aromatic Plant
CLPS	Certificate in Livestock Production System
APDF	Awareness Programme in Dairy Farming
BILS	Bachelor in Library and Information Science
DYS	Dipoma in Yoga
PGDY	Post Graduate Diploma in Yoga

अन्यप्र स्तावितक र्यक्रमः

B.A.	Single Subject
MBA	Master of Business Administration
M.Sc. Bio Chemistry	Master of Science in Bio Chemistry

8. प्रवेश नियम, निषेध एवं निरस्तीकरण

प्रवेशार्थियोंह`तुम हत्वपूर्णा निर्देश

1. विवरण पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें तथा इसमें वर्णित नियमों का पालन करें।
2. समस्त प्रवेश डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा प्रवेश नियमावली 2019–2020 और कॉलिज में विभिन्न कक्षाओं में उपलब्ध स्थान तथा आरक्षित श्रेणी स्थान सारणी के आधार पर किए जायेंगे। अतः अभ्यर्थी सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली का अध्ययन करें तत्पश्चात् प्रवेश आवेदन पत्र साफ–2 भरकर जमा करें। **त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।**
3. **प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ एवं तिथियों की विज्ञप्ति कॉलिज सूचना पट एवं कॉलिज वेबसाइट पर ही सूचित की जायेंगी । अलग से कोई प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। अतः प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिए छात्र–छात्राएँ समय–समय पर सूचना पट एवं कॉलिज वेबसाइट देखते रहें। सूचना प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र–छात्राओं की होगी।**
4. प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय में स्थान सीमित एवं निर्धारित हैं।
5. यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हैं तो साक्षात्कार के समय अपनी जाति का मूल प्रमाण–पत्र अपने साथ अवश्य लाएँ। **लेखा विभाग से निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म प्राप्त कर उसे अवश्य जमा कर दें, ताकि प्रवेश शुल्क जमा करने पर आप प्रवेश प्राप्त कर सकें तथा छात्रवृत्ति स्वीकार होने पर बाद में शुल्क भुगतान हो सके।**
6. प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क तथा नवीन छात्र को नामांकन शुल्क अवश्य जमा करना होगा।
7. यदि विद्यार्थी सत्र के बीच में अध्ययन छोड़ना चाहता है तो उसकी सूचना कार्यालय को लिखित रूप में तुरन्त देनी होगी अन्यथा पूरे वर्ष का शुल्क लिया जाएगा।
8. नवीन प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।

नोट–नवीन प्रवेशार्थी प्रवेश से पूर्व अपना वेब रजिस्ट्रेशन (Web-Registration) अवश्य करायें।

स्व-सत्यापितफ ोटोप्र तिलिपियाँ

1. (क) स्नातक कक्षा हेतु हाईस्कूल एवं उसके उपरान्त जो भी कक्षाएँ उत्तीर्ण की हों, उन सभी की अंकतालिकाएँ।
   (ख) स्नातकोत्तर कक्षा हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं स्नातक कक्षा की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाएं ।
2. जन्मतिथि प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड।
3. प्रवेशार्थी ने जिस संस्था से अन्तिम कक्षा में संस्थागत रूप से अध्ययन किया हो, उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
4. यदि प्रवेशार्थी किसी भी आरक्षित वर्ग में हो तो तत्सम्बन्धी जाति प्रमाण–पत्र ।
5. यदि प्रवेशार्थी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा और उससे सम्बद्ध कॉलिज में सेवारत/अवकाश प्राप्त स्थायी प्राध्यापक एवं कर्मचारी की संतान है, तो तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
6. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रेंक के केवल पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री (अविवाहित) हैं तो प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
7. यदि प्रवेशार्थी राष्ट्रीय/राज्य/अन्तरविश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी है, तो उस दशा में तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

8. प्रवेश से सम्बन्धित अन्य प्रमाण पत्र ।

8. (ब) नवीन प्रवेशार्थी साक्षात्कार के समय निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करें :–

   1. 8 (अ) के अन्तर्गत 1–8 तक सभी सत्यापित फोटो प्रतिलिपियों की मूल प्रतियां ।
   2. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
   3. प्रवजन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

9. प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जो सन् 2018–2019 में इस कॉलिज के छात्र रह चुके हैं, उपरोक्त खण्ड 8 (अ) और 8 (ब) में वर्णित आवश्यक प्रमाण–पत्र (केवल टी0 सी0 एवं प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration)] को छोड़कर तदनुसार प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें तथा सत्यापित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें और चरित्र सम्बन्धी विवरण प्रपत्र और परिचय पत्र का नवीनीकरण भी उसी समय करा लें ।

10. बी0 ए0/बी0 एस–सी0/बी0 कॉम0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एल–एल0बी0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश के आकांक्षी ऐसे विद्यार्थी जो सत्र 2017–2018 में इस कॉलिज में अध्ययन कर चुके हैं केवल अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने से सम्बन्धित प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें । इन प्रवेशार्थियों के चरित्र सम्बन्धी विवरण प्रपत्र और परिचय पत्र का नवीनीकरण साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा, पासपोर्ट साइज के तीन फोटो साथ लाना अनिवार्य हैं ।

11. प्रत्येक कक्षा के ऐसे प्रवेशार्थी जिनको नवीन प्रवेशार्थी की संज्ञा दी गई है, अपना **नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो** खिंचवाकर उसकी 3 प्रतियाँ अपने पास रखें । एक फोटो प्रवेशार्थी अपने आवेदन पत्र पर यथास्थान चिपका दें । फोटो की दूसरी प्रति आचरण पत्र पर एवं तीसरी प्रति परिचय पत्र पर यथास्थान चिपकाएँ।

12. प्रवेश आवेदन–पत्र में आवश्यक प्रविष्टियां भरने तथा आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने के उपरान्त प्रवेशार्थी उसे कार्यालय में रु0 2.00 देकर पंजीकरण हेतु जमा करा दें । कार्यालय उन्हें प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करने की एक रसीद देगा । रसीद पर जो संख्या लिखी होगी, वही पंजीकरण संख्या होगी, इस रसीद को प्रवेशार्थी सुरक्षित रखें ।

13. (क) बी0ए0, बी0एस–सी0/बी0 कॉम0 प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश आवेदन पत्र कॉलिज में दिनांक 10 जुलाई 2019 तक रु0 2/–पंजीकरण शुल्क सहित सायं 3 बजे तक जमा किये जायेंगे। इसके बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बी0 कॉम0 एवं बी0एस–सी0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा की फीस सहित 48+2=50.00 रु0 जमा कराने होंगे।

   (ख) अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र जमा करने और प्रवेश पूर्ण होने की तिथियाँ डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा प्रवेश नियमावली 2019–2020 के अनुसार होगी, जिसकी जानकारी कॉलिज सूचना पट तथा कॉलिज वेबसाइट पर विद्यार्थियों को मिल जाएगी।

14. साक्षात्कार वाले दिन स्नातक कक्षाओं हेतु प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष पासपोर्ट साइज के 3 फोटो के साथ उपस्थित होकर परिचय पत्र, एवं आचरण पत्रिका भरकर जमा करेगा। समस्त मूल पत्रों की जांचकर प्रवेश समिति, प्रवेश की संस्तुति करेगी। इसके उपरान्त प्रवेशार्थी अनुशासन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा। स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेशार्थी मुख्य

अनुशासन अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करायेगा।

15. यदि प्रवेशार्थी किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशास्कीय विभाग में नियुक्त अथवा सेवारत है तो उसे वहाँ के नियोक्ता के अनुमति पत्र की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी । ऐसा न करने पर और बाद में पता चलने पर कि प्रवेशार्थी सेवारत है, प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सूचना उसके नियोक्ता को दे दी जाएगी।
16. आवेदन पत्र को ठीक तरह से भरना एवं प्रविष्टियों को पूरा करने का उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का है । अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे और उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।
17. प्रवेश अनुमन्य के बाद प्रवेशार्थी को कॉलिज शुल्क 3 दिन में जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
18. 15 दिन तक कक्षाओं में बिना अनुमति के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। तत्पश्चात् पुनः प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. यदि त्रुटिवश किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश अन्तिम गुणांक (मैरिट कांउट) से कम हो जाता है, तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
20. निम्नलिखित कारणों से किसी भी प्रवेशार्थी का प्रवेश वर्जित होगा और यदि भूलवश प्रवेश दे दिया गया है तो निरस्त कर दिया जाएगा :–
    (क) इस कॉलिज में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार का दोषी होना।
    (ख) अन्य महाविद्यालय द्वारा निष्कासन या प्रवेश की अस्वीकृति।
    (ग) विद्यार्थी पर आई0 पी0 सी0 (भारतीय दण्ड विधान) अथवा सी0 आर0 पी0 सी0 धाराओं के अन्तर्गत कोई मुकदमा होना अथवा मॉरल टर्पीटयूड के जुर्म के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना अथवा किसी शिक्षक, छात्र अथवा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के कारण निष्कासित किया जाना।
    (घ) अन्य कोई कारण जो कॉलिज के मुख्य अनुशासन अधिकारी की दृष्टि में अनुचित हो।
    (ङ) अंक तालिकाओं या प्रमाण पत्रों के सन्देहास्पद होने पर।
21. **कॉलिज के किसी भी कक्षा में प्रवेश देने अथवा न देने का तथा प्रवेश को निरस्त करने का अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा।**

- **जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते।** **-स्वामी विवेकानन्द**
- **क्या हम यह नहीं जानते कि आत्म सम्मान आत्म निर्भरता के साथ आता है ?** **-भारत रत्न डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम**
- **पुस्तकें वह साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं।** **- डॉ० सर्वपल्ली एस. राधाकृष्णन**

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सत्र 2019–2020 हेतु सेमिस्टर व वार्षिक शैक्षिक कलैण्डर

1.	Web Registration स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष (प्रवेश परीक्षाओं को छोड़कर)	:	01 जून से 10 जुलाई 2019 तक
2.	(a) (i) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	:	15 जून 2019
	(ii) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए पंजीकरण की अन्तिम तिथि	:	10 जुलाई 2019
	(iii) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि	:	20 जुलाई 2019
	(b) स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए प्रवेश की अन्तिम तिथि। किसी भी दशा में यह तिथि 31–07–2019 से आगे नहीं होगी।	:	25 जून से 04 जुलाई 2019 तक
	(c) स्नातक एवं स्नातकोत्तर पुनः परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि	:	16 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक
	(d) प्रयोगात्मक परीक्षा (छूटी हुई) के फार्म भरने की अन्तिम तिथि	:	जुलाई के अन्तिम सप्ताह
		:	(25 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक)
3.	स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	:	05 जुलाई 2019
4.	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में नामांकन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	:	31 जुलाई 2019
5.	स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	:	22 जुलाई 2019
6.	महाविद्यालयों (स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों) द्वारा नामांकन शुल्क, क्रीड़ा शुल्क एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क सहित विश्वविद्यालय में नामांकन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	:	05 अगस्त 2019
7.	स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में परीक्षाफार्म भरने की अन्तिम तिथि	:	1 अगस्त से 16 अगस्त 2019
8.	पुनः परीक्षा की तिथि	:	सितम्बर माह का अन्तिम सप्ताह
9.	व्यक्तिगत परीक्षाओं के फार्म नवम्बर 2019 में भरवाया जायेगा।		
10.	विषम (ODD) सैमिस्टर परीक्षाओं की अविधि	:	नवम्बर 2019 का दूसरा सप्ताह
11.	सम (EVEN) सैमिस्टर परीक्षाओं की अवधि	:	अप्रैल 2020 का तीसरा सप्ताह
12.	प्रयोगात्मक परीक्षा माह जनवरी 2020 के प्रथम सप्ताह से 15 फरवरी 2020 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न होगी।		
13.	परीक्षाफल 15 जून 2020 तक घोषित करना।		
14.	ग्रीष्मकालीन अवकाश 60 दिन का होगा।		

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

9. प्रवेश नियमावली सत्र 2019–2020

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 12–04–2019 द्वारा अनुमोदित

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष एवं संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

आवश्यक निर्देश

बी0एस0सी0 (कृषि), एम0एस0सी0 (कृषि), एम0एस0सी0 (गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान), एल0एल0एम0, एल0एल0बी0, बी0एएल0एल0बी0 एवं बी0पी0एड0 के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जायेंगे जिसकी नियमावली पृथक रूप से प्रसारित की जायेगी।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रोस्पेक्ट्स'' तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन–पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।

   (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2019–2020 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

   (स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रुपये 250/– नकद आगामी सत्र 2019–2020।

   (द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश परीक्षा सी0सी0टी0वी0 कैमरे की देख रेख में करायी जाय। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा कोड दिया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

2. (अ) सत्र 2019–2020 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के ''त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम'' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष ''चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम'' में ही प्रवेश दिये जायेंगे।

   (ब) सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 10 जुलाई 2019 होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश 31 अगस्त 2019 के पश्चात् नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेंगे। यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध

हो।

- ❖ महाविद्यालय के विभाग खुलने की तिथि — 26 जून 2019
- ❖ स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि — 15 जून 2019
- ❖ स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि — 10 जुलाई 2019
- ❖ स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि — 31 जुलाई 2019
- ❖ स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि — 04 जुलाई 2019
- ❖ स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि — 05 जुलाई 2019

3. (अ) प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित कॉलिज की **वेबसाइट** पर प्रसारित कर दी जायेगी। छात्र तद्नुसार प्रवेश लें।

   (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

   (स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेशार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाये।

4. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

   (ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

   (स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं और उसकी आर्हता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थियों को स्नातक के उपरान्त प्रवेश के लिये अधिकतम (03) तीन वर्ष के अन्तराल को प्राचार्य की संस्तुति के उपरान्त कुलपति द्वारा अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अन्तराल के नियम का पालन कड़ाई से लागू किया जाय।

   टिप्पणी : 1. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों पर अन्तराल (GAP) का नियम लागू नहीं होगा।

   2. दो वर्ष के अन्तराल (GAP) के छात्रों का ऑन लाईन डाटा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुये प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाईन फार्म भरवाते वक्त महाविद्यालय छात्र छात्राओं के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।

   3. नियमानुसार एल0एल0बी0 6 वर्ष, बी0ए0एल0एल0बी0 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 7 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 6 वर्ष परास्नातक अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

   (द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल0एल0बी0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल0एल0एम0 कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होंगे।

   (य) कला वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हो, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

''यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा ना हो।''

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे :–

"Subject to the order issued under sub-section (4) of section 28 of the Act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall, however, duly and strictly follow the norms and principles, if any, laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण–उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी :–
   1. बी0एस0सी0 (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
   2. बी0एस0सी0 (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
   3. बी0एस0सी (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।
   4. बी0ए0/बी0कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।
   5. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

   (ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषयम में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड पॉइन्ट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिए मान्य होंगे।

   (स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :–

   (i) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थाई रूप से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवम् उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों के आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल एवं अलीगढ़ मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों

से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू0पी0 आगरा मण्डल तथा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा तथा स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल तथा डी0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो, किन्तु एम0एस0सी0 (कृषि) के प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा यू0पी0 आगरा/अलीगढ़ मण्डल के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से अपने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35/सत्तर–1–2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अर्न्तगत कश्मीर के विस्थापित छात्र–छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) भाग–2 तथा भाग–3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग–1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा जो भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चक्रामानुसार।

(iii) एस0एन0 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट : कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमित के विदेशी छात्रों को प्रवेश ''प्रोवीजनल'' भी नहीं देगा।

(vi) समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक /स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किये जायें।

(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :–

6. (क) स्नातक कक्षायें :
   1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों को 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
   2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

   (ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :
   1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
   2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट :

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेंगे।

2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम0ए0 के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते है जिसमें विश्वविद्यालय की बी0ए0 की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी रहित) उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम0ए0 पूर्वाद्ध परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं।

(ग) एम0कॉम0 पूर्वाद्ध परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी0कॉम0 त्रिवर्षीय परीक्षा है।

(घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्हीं विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हो।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए :–

(क) प्रथम विजेता होने के लिए	–	5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए	–	4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए	–	3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिए	–	2 अंक।

2. एन0सी0सी ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक

अथवा

एनसी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्ष वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लने :–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए–	8 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए–	7 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए–	6 अंक
(घ) प्रतियागिता में प्रतिभाग करने के लिए–	3 अंक

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने :–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए–	5 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए–	4 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए–	3 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए–	2 अंक

3. एन0सी0सी ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

अथवा

एनसी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्यों जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हों। 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए– 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए– 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए– 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिए– 2 अंक।

नोट :

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन0सी0सी0 अधिकारी / एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र / रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्यवक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें :

1. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयें में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी / अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति / पत्नी / पुत्री / पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मारियों के पति / पत्नी / पुत्र / पुत्री। 17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैक के केवल पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री (अविवाहित)। 10 अंक

3. भारतीय सेना / पैरा मिलट्री फोर्स / अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस / पी0ए0सी0) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र / पुत्री / विधवाओं को प्रवेश में। 17 अंक

टिप्पणी :

1. प्रत्यक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंको की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट :

किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर विश्वद्यिालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु–

(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

2. एन0सी0सी ''सी'' सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 उत्तीर्ण 6 अंक

अथवा

3. एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

4. डॉ0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एवं अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक एवं कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / स्वयं जो उन पर आश्रित हों। 17 अंक

5. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति / पत्नी / पुत्र / पुत्री (अविवाहित) 10 अंक

नोट :

1. किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त ''1'' से ''3'' तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमैटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित / एन0सी0सी0 अधिकारी / एन0एस0एस0 अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

6. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

नोट :

उपर्युक्त 1 से 5 तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमैटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित / एन0सी0सी0 अधिकारी / एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र / रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

7. (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को उन्हीं विषयों में प्रवेश दिया जायेगा, जिन विषयों का अध्ययन स्नातक अन्तिम वर्ष की कक्षा में किया हों।

(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हों और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(स) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। <u>उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।</u>

(द) विशेष परिस्थतियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

8. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय के लिए अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन ''अप–टू–डेट'' जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली–भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ, उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होनें प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

9. प्रत्येक छात्र को वेब रजिस्ट्रेशन नम्बर (Web Registration Number) लेना होगा। प्रवेश के समय समस्त अभ्यर्थियों को आधार कार्ड नम्बर के आधार पर W.R.N (Web Registration Number) दिया जायेगा।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझें जायें।

10. सेना/पैरामिलिट्री फोर्स/सरकारी तथा अर्द्धसरकारी सेवाओं में सेवारत कर्मचारियों के पालकों को उनके स्थानान्तरण होने पर अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरण की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई।

10. अनुमोचन, विद्यार्थी सहायता कोष तथा छात्रवृत्तियाँ

(क)श ुल्क-अनुमोचन

उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कॉलिज की छात्र संख्या के 17% के लिए पूर्ण शुल्क मुक्ति का प्रावधान है। शुल्क–मुक्ति अधोलिखित नियमों के आधार पर की जाती है :–

(अ)अ र्हता

1. केवल वही छात्र शुल्क–मुक्ति के योग्य समझे जाएगें, जिन्होंने विगत वर्ष की परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों तथा उनका चरित्र एवं व्यवहार वर्ष भर संतोषजनक रहा हो।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वार्द्ध परीक्षा में प्राप्तांक 50% से कम होने पर उत्तरार्द्ध कक्षा में पूर्ण शुल्क मुक्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा।

(ब)अ योग्यता

ऐसे छात्र जो निम्नलिखित किसी वर्ग में आते हैं वे शुल्क मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

1. छात्र, जिनको कोई अन्य आर्थिक सहायता मिल रही है।
2. अनुसूचित/पिछड़ी/सामान्य जाति के वे छात्र जिन्हें राजकीय छात्रवृत्ति मिलती हो।
3. गतवर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते पाए गए छात्र।
4. ऐसे छात्र जो शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत हैं या जिनके विरूद्ध न्यायालय में निर्णय के लिए कोई मामला विचाराधीन है तथा अनुशासनहीनता में लिप्त छात्र।

(स)प्र क्रिया

1. शुल्क मुक्ति हेतु छात्र–आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त करें, यथा स्थान प्रविष्टियाँ भरकर उसे प्रवेश के समय ही कार्यालय में जमा कर दें।
2. छात्र आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अवश्य लगाएँ–
   (क) अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका।
   (ख) विगत संस्था में छात्रवृत्ति/शुल्क–मुक्ति, यदि प्राप्त की हो तो उसका प्रमाण पत्र।
   (ग) खेल/साहित्य/सामाजिक विशेष योग्यता प्रमाण पत्र ।
   (घ) पिता/संरक्षक की जो आय निम्नलिखित में से किसी एक स्रोत अथवा अधिक स्रोतों से हो, उसके/उनके सामने अंकित प्रमाण–पत्र की मूल प्रतिलिपि ।

आय स्रोत प्रमाण-पत्र (मूल प्रतिलिपि)

1.	मासिक वेतन मंहगाई भत्ते सहित	तत्सम्बन्धी आहरण पदाधिकारी/ राजपत्र अधिकारी/अन्य
2.	खेती एवं पशु	तहसीलदार/कानूनगो/ब्लाक प्रमुख
3.	व्यवसाय	बिक्रीकर विभाग/नगरपालिका/ टाउन एरिया/ग्रामसभा के अधिकारी/मालिक दुकान/किराया रसीद/ठेकेदार तहबाजारी

शुल्क–मुक्ति हेतु प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों पर निर्णय उन पर प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर एक शुल्क अनुमोचन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) विद्यार्थी सहायता कोष

निर्धन छात्रों की सहायता के लिए विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना की गई है। इस कोष से विद्यार्थियों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है :–

1. निर्धन छात्र–छात्राओं को पुस्तकें, वस्त्र, औषधि तथा शुल्क आदि के लिए सहायता की जायेगी।
2. सहायता देते समय विगत वर्ष के परीक्षा परिणामों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
3. परिगणित और अनुसूचित जातियों के छात्र इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।
4. ऐसे विद्यार्थी जो अध्ययन के लिए कॉलिज या सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता ले चुके हैं, उन्हें सामान्यतः कोई सहायता नहीं दी जाएगी। भ्रामक सूचना के आधार पर स्वीकृत सहायता तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। छात्र का उचित पात्र होना आवश्यक है।
5. अनुशासनहीन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।
6. सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता अधिकतम छः माह की ट्यूशन फीस के बराबर होगी।

(ग) छात्रवृत्तियाँ

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त

1. अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति।
2. परिगणित छात्रवृत्ति (केवल प्रथम श्रेणी अथवा उत्कृष्ट द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के लिए)।
3. विकलांग छात्रवृत्ति (केवल मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर)।
4. सामान्य जाति (आय के आधार पर)।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (आय के आधार पर)।

टिप्पणी : विभिन्न छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश के समय ही कॉलिज के लेखा विभाग में छात्रवृत्ति सहायक से सम्पर्क स्थापित कर आवेदन–पत्र जमा करें।

3. **शुल्क**–अनुमोचन एवं विद्यार्थी सहायता कोष के प्रार्थना–पत्र एक साथ ही कॉलिज द्वारा आमंन्त्रित किए जायेंगे तथा एक समिति द्वारा एक साथ दोनों सहायता आवेदन–पत्रों का निर्णय किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पूर्ण शुल्क–मुक्ति (शिक्षण शुल्क) से अधिक का लाभ देय नहीं होगा ।

11. विद्यार्थियों द्वारा ध्यान देने तथा पालन करने हेतु नियम

(क) अनुशासन विभाग

छात्रों में अनुशासन, शिष्टाचार एवं आत्मसंयम की भावना का विकास करने के लिए कॉलिज में अनुशासन विभाग है। इस विभाग का संचालन एवं निर्देशन मुख्य अनुशासन अधिकारी की देख–रेख में होता है। मुख्य अनुशासन अधिकारी की सहायता के लिए एक अनुशासन समिति गठित की जाती है। कॉलिज में अनुशासन नियमों का पालन करना छात्र–छात्राओं के लिए अति आवश्यक है। छात्र–छात्राओं द्वारा अनुशासन सम्बन्धी सभी समस्याएं मुख्य अनुशासन अधिकारी को ही सूचित की जायें उन समस्याओं का मुख्य अनुशासन अधिकारी उचित निराकरण करेंगे। मुख्य अनुशासन अधिकारी छात्र–छात्राओं को कॉलिज परिसर के अतिरिक्त शहर में किए गए आचरण पर भी निर्णय देने के अधिकारी है।

कॉलिज में परिचय–पत्र लेकर आना अनिवार्य है। किसी भी समय अनुशासन मण्डल या अन्य शिक्षक द्वारा परिचय पत्र मांगा जा सकता है। इसके न होने पर दंडित किया जा सकता है। परिचय–पत्र की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र–छात्राओं का है। परिचय–पत्र खो जाने की स्थिति में रु0 50/– के साथ एक फोटो जमा करने पर ही दिया जा सकेगा। अनुशासन नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप किसी भी छात्र–छात्रा को कॉलिज से प्राचार्य द्वारा निष्कासित/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु महिला अनुशासन अधिकारी तथा महिला प्रकोष्ठ कार्यरत है। महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरन्त महिला प्रकोष्ठ प्रभारी को सूचित करें।

(ख) शिष्टाचार सम्बन्धी समान्य नियम :

1. कॉलिज परिसर में विद्यार्थियों को गुटखा, पान, तम्बाकू, धूम्रपान या कोई मादक पदार्थ सेवन करना पूर्णरूप से वर्जित एवं दंडनीय है।
2. कॉलिज परिसर में छात्रों से वार्तालाप संयमित एवं मृदु होना चाहिए।
3. कक्षाओं के द्वार पर अथवा बरामदे में छात्र तेज स्वर में वार्तालाप न करें।
4. कॉलिज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शालीनता पूर्ण वार्ता एवं व्यवहार सर्वथा अपेक्षित है। अन्यथा अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
5. केवल आवश्यक कार्य से छात्र–छात्राएं कार्यालय कक्ष में पूर्वाज्ञा से जाएँ।
6. कॉलिज के सभी छात्र–छात्राएं अपने खाली समय में बाहर बरामदे में या कॉलिज प्रांगण में न घूमें और न जोर से बातें करें। छात्र–छात्राएं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करें या छात्र लॉन में बैठें तथा छात्राएं खाली समय में छात्रा–कक्ष में ही बैठें।
7. छात्रों को कॉलिज द्वारा निर्धारित परिधान में ही कॉलिज आना अनिवार्य है।
8. दीवारों, श्यामपटों या शौचालयों में गन्दे शब्द लिखना दंडनीय है।
9. कॉलिज की सम्पत्ति के सदुपयोग, रख–रखाव एवं सुरक्षा का भार विद्यार्थियों पर है। यदि किसी छात्र या छात्रा को बाहरी व्यक्ति हानि पहुँचाए तो एक प्रबुद्ध छात्र के नाते उसकी सूचना तुरन्त कॉलिज प्रशासन को दें। महाविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की गन्दगी न फैलायें।
10. छात्राओं के संरक्षक अथवा उनके परिवार के सदस्य बिना मुख्य अनुशासन अधिकारी की पूर्व अनुमति के कक्षाओं के दौरान छात्राओं से नहीं मिल सकेंगे। अनुशासन अधिकारी यदि उचित समझेंगे तो अनुशासन कार्यालय में छात्राओं को बुलाकर उनसे मिलने की अनुमति

देंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं बाहरी तत्वों कें खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11. कॉलिज में कक्षाओं के दौरान कॉलिज के मुख्य द्वार के सामने साइकिल अथवा अन्य वाहन खड़ा करना दंडनीय है। ऐसी स्थिति में वाहन को साइकिल स्टैण्ड पर भेज दिया जायेगा और सायं 5 बजे के उपरान्त ही रु0 200/– दण्ड शुल्क जमा करने एवं आवश्यक कार्यवाही के बाद ही वाहन प्राप्त किया जा सकेगा।
12. साइकिल स्टैण्ड के कर्मचारियों के साथ सभी छात्र सद्भावना पूर्ण व्यवहार करेंगे तथा निर्दिष्ट स्थान पर ही वाहन खड़ा करेंगे और अनावश्यक रूप से साइकिल स्टैण्ड पर खड़े नहीं होंगे। बिना ताले की साइकिल व अन्य वाहन को साइकिल स्टैण्ड पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) आचार संहिता

1. छात्रों को कक्षाओं में नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. कॉलिज में शान्ति बनाए रखेंगे।
3. सूचना पट पर ही छात्रों से सम्बन्धित सूचनाएँ दी जायेंगी, उनको ध्यान से पढ़ेंगे।
4. किसी भी दशा में कॉलिज की व्यवस्था को भंग न किया जाए।
5. छात्र किसी हड़ताल में शामिल न हों।
6. छात्र कॉलिज में कोई हैण्डबिल/पैम्पलेट आदि न तो वितरित करेंगे और न ही किसी कार्य हेतु चन्दा एकत्रित करेंगे।
7. छात्र किसी भी जाति/धर्म/भाषा/प्रान्त/राजनीति दल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव प्रदर्शित नहीं करेंगे। वह मानवता और मानव प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगे जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।
8. कॉलिज परिसर का कोई भाग छात्र पोस्टर चिपकाने तथा दीवारों पर लिखने आदि के लिए प्रयोग नहीं करेगें।
9. महाविद्यालय के छात्रों के पीने के लिए अनेक वाटर कूलर लगाये गये हैं। प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह पीने के पानी को बर्वाद न करें तथा महाविद्यालय परिसर को हरा भरा रखने के उद्देश्य से पौधों को किसी प्रकार हानि न पहुंचायें।
10. छात्र अपना परिचय–पत्र कॉलिज अथवा कॉलिज के बाहर हर समय अपने साथ रखेंगे तथा किसी भी शिक्षक द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेंगे।
11. अन्य संस्थाओं के बाहरी छात्रों अथवा अवांछनीय तत्वों का कॉलिज में आना या लाना वर्जित है।
12. छात्र खोई हुई वस्तु पाने पर उसे अपने विवरण के साथ तुरन्त अनुशासन अधिकारी के पास जमा करेंगे।
13. सभी छात्र स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस पर कॉलिज में आयोजित समारोहों में भाग लेंगे।
14. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

नोट–सभी छात्र–छात्राओं के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

(घ) चरित्र प्रमाण-पत्र

1. चरित्र सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का अधिकारी केवल वह छात्र होगा जो कॉलिज में न्यूनतम छः माह की अध्ययन–अवधि पूर्ण कर

चुका हो।

2. छः माह में केवल एक बार ही कोई छात्र चरित्र प्रमाण–पत्र ले सकता है।
3. सामान्यतः चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन देने के तीसरे दिन दिया जाता है। यदि कोई छात्र अतिशीघ्र अर्थात 24 घण्टे में यह प्रमाण–पत्र चाहता है, तो उसे 20 रु0 कार्यालय में जमा करने होंगे।

(ङ) **रेल अथवा बस किराया अनुमोचन :** घर जाने के लिए रेल/बस किराया अनुमोचन कॉलिज के ग्रीष्म अवकाश के समय प्रवेश आवेदन–पत्र पर अंकित घर के पते पर दिया जाएगा, अन्य पते पर नहीं।

(च) **कार्यालय नियम :** छात्र–छात्राओं को सामान्यतः 10 बजे से 1 बजे तक कार्य दिवस में कार्यालय सहायक से सम्पर्क करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त अनुमति लेकर ही मिलें।

(छ) **छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य परिधान**

1. सभी छात्रों के लिए स्टील ग्रे पैंट, सफेद कमीज। जाड़ों में इसके ऊपर नेवी ब्लू कलर का स्वेटर या कोट।
2. सभी छात्राओं को सफेद सलवार, हल्के गुलाबी रंग का कुर्त्ता एवं सफेद दुपट्टा अथवा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी एवं सफेद ब्लाउज में ही कॉलिज में आना होगा । जाड़े के दिनों में केवल काला स्वेटर या कोट ही पहनकर आयें।
3. निर्धारित परिधान में न आने पर छात्र–छात्राओं को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ज) **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का परिधान :**

1. सभी छात्रों के लिए ब्लू पर सफेद लाइन के शर्ट तथा ग्रे पेन्ट। जाड़ों में इसके ऊपर नेबी ब्लू कलर का स्वेटर या कोट।
2. सभी छात्राओं के लिए ब्लू पर सफेद लाइन का कुर्ता, सफेद सलवार एवं सफेद दुपट्टा। जाड़ों के दिनों में केवल काला स्वेटर या कोट पहन कर आयें।

नोट–शर्ट व कुर्ता के कपड़े का नमूना प्रवेश के समय प्राप्त कर लें।

(झ) **परीक्षा के दौरान भी छात्र–छात्राओं के लिए निर्धारित परिधान में आना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।**

- **करो अपनी भाषा पर प्यार। जिसके बिना मूक रहते तुम, रूकते सब व्यवहार।।**

-मैथिलीशरण गुप्त

- **कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये।**

-भारत रत्न डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

12. विशिष्ट योजनाएँ

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुँमुखी विकास करना है। अतः कॉलिज में जहाँ अध्ययन एवं शोध–कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, वहीं छात्रों के शारीरिक ,मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

(I) पुस्तकालय एवं वाचनालय-पुस्तकालय के सामान्य नियम :-

1. सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। छात्र आवेदन पत्र पुस्तकालय काउन्टर से एक रु0 देकर प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय कार्ड अपना परिचय–पत्र दिखाने पर मिलेगा। कार्ड खो जाने पर इसकी सूचना तुरन्त पुस्तकालयाध्यक्ष को दें। डुप्लीकेट कार्ड पाँच रु0 जमा करने पर बनेगा। खोये कार्ड पर यदि कोई छात्र पुस्तक ले गया हो तो उसकी जिम्मेदारी कार्ड धारक छात्र की होगी।
2. पुस्तकालय से पुस्तक कार्ड पर केवल 15 दिन के लिए पढ़ने को मिलगी। इस अवधि के बाद पुस्तक सुरक्षित नहीं लौटाने पर 1 रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा। यह विलम्ब शुल्क माफ नहीं किया जायेगा।
3. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों आदि की सुरक्षा का दायित्व विद्यार्थी पर ही होगा। अतः पुस्तक लेते समय उसे खोलकर देख लें कि कहीं कोई पृष्ठ गायब या कटा–फटा तो नहीं है। लौटाते समय अपूर्ण या फटी हुई पुस्तक स्वीकार नहीं होगी।
4. पुस्तकालय भवन में प्रवेश करने से पूर्व विद्यार्थी अपनी निजी पुस्तकें तथा अन्य सामग्री पुस्तकालय के काउन्टर पर जमा कर दें तथा जाते समय ले लें।
5. पुस्तकालय कार्ड वर्ष के अन्त में पुस्तकालय को लौटाना होगा।
6. पत्र–पत्रिकाएँ तथा अध्ययन कक्ष में अध्ययन हेतु पुस्तकें परिचय–पत्र जमा करने पर प्राप्त हो सकेंगी। बिना अनुमति के पुस्तक या पत्रिकाएँ ले जाना दंडनीय होगा।
7. पुस्तकालय कार्ड अहस्तान्तरणीय है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी उत्तरदायी होने के साथ ही दण्ड के भागी होंगे।
8. पुस्तकालय में शोध ई–पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध है।

(II) बुक बैंक

इस योजना से सम्बन्धित विस्तृत नियमावली पुस्तकालय के बुक–बैंक विभाग से प्राप्त की जा सकती है। बुक–बैंक से छात्र पुस्तकों के कुल मूल्य का 50% धन सुरक्षा राशि जमा करके पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक वापिस करने पर 15% धनराधि काटकर शेष विद्यार्थी को वापिस कर दी जायेगी।

(III) एन० सी० सी० : (N. C. C.) : केवल बी0 ए0, बी0 एस–सी0 तथा बी0 कॉम0, बी0ए0 एल–एल0बी0, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 के छात्र–छात्राओं को एन0 सी0 सी0 की शिक्षा दी जाती है। जिसमें बी0 ए0/बी0 एस–सी0/बी0 कॉम0, प्रथम वर्ष, बी0ए0 एल0एल–बी0 के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 के प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर के छात्र–छात्राएं नामांकन करा सकते हैं । एन0 सी0 सी0 की परेडों में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

(IV) राष्ट्रीय सेवा योजना (N. S. S.) : विद्यार्थियों में अध्ययन के साथ–2 समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना व देश–प्रेम जाग्रत करने एवं समाज के कार्यों को करने की शिक्षा देने के उद्देश्य से यह योजना शिक्षक अधिकारी के निर्देशन में कार्य करती है। इस योजना में छात्रों को प्रौढ़ शिक्षा,

वृक्षारोपण, बाढ़ समस्या, गाँव की सफाई, नालियों, सड़कों आदि का निर्माण एवं रख–रखाव करना तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में समाज की सेवा करना आदि क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है । राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण–पत्र केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो स्नातक कक्षाओं के 2 वर्ष में 120 घण्टे प्रतिवर्ष का सेवा कार्य पूर्ण कर लेंगे।

(V) **रोवर्स/रेन्जर्स :** महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में देश–प्रेम, उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने, ज्वलन्त सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से रोवर्स/रेन्जर्स इकाइयों का संचालन उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं उपनियमों के आधार पर किया जाता है। स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र रोवर्स एवं छात्राएँ रेन्जर्स के रूप में इसके सदस्य बन सकते हैं। उ0प्र0 सरकार ने विभिन्न सरकारी नौकरियों में रोवर्स/रेन्जर्स प्रशिक्षित छात्र–छात्राओं के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए हैं। साथ ही प्रमाण–पत्र धारक छात्र–छात्राओं को विविध कक्षाओं में प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंक भी प्रदान किए जाते हैं।

(VI) **क्रीड़ा :** कॉलिज में लगभग सभी ''आउटडोर और इनडोर गेम्स'' की समुचित व्यवस्था है।

1. विश्वविद्यालय की अन्तर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम के सदस्यों को ड्रेस इत्यादि की सुविधा दी जाएगी।
2. प्रत्येक ऐसे खिलाड़ी को जिसका डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की टीम में चयन हुआ हो और वह अन्तर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में खेलने जाता है तो उसको कॉलिज की ओर से ट्रैक सूट दिया जाएगा।
3. किसी भी खिलाड़ी अथवा कप्तान को एक वर्ष में केवल एक ट्रैक सूट दिया जाएगा। दो टीमों का कप्तान नियुक्त होने पर या विश्वविद्यालय की एक से अधिक टीम में चयन होने पर या अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एक बार से अधिक स्थान पाने पर भी एक ही बार ट्रैक सूट दिया जाएगा।
4. कॉलिज के स्पोर्टस चैम्पियन को ट्रैक सूट दिया जाएगा। यह उसी दशा में दिया जाएगा जब उसे पहले किसी अन्य खेल में न दिया गया हो।
5. खिलाड़ी छात्रों को टी0टी0 बैट एवं बैडमिण्टन रैकिट स्वयं अपना लाना होगा विश्वविद्यालय टीम में चयन होने पर बैडमिण्टन रैकिट एवं टी0टी0 बैट छात्र को 50 प्रतिशत मूल्य पर दिये जा सकते हैं जो विभाग में उपलब्ध हों।
6. कबड्डी, खो–खो खिलाड़ियों को आवश्यकता होने पर ही कैप एवं ऐंकलेट विभाग उपलब्ध करायेगा।
7. जो छात्र ऐसे खेल का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है या पदक विजेता है, जो खेल कॉलिज तथा विश्वविद्यालय में नहीं होता है उस छात्र की प्रार्थना पर क्रीड़ा समिति उसे प्रोत्साहन देने के लिये किसी उचित पुरस्कार को देने की संस्तुति कर सकती है।
8. राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर कॉलिज प्रशासन क्रीड़ा समिति की संस्तुति पर नगद पुरस्कार तथा अन्य सुविधाएँ प्रोत्साहन और सम्मान स्वरूप प्रदान करेगा।
9. विश्वविद्यालय खेलों में पदक प्राप्त या स्थान प्राप्त खिलाड़ियों की पूर्ण ट्यूशन फीस माफ की जाएगी।
10. समस्त खिलाड़ियों को अभ्यास के समय मैदान पर निर्धारित खेल किट में आना अनिवार्य है। कॉलिज में केवल प्रतिभावान, अनुशासित और नियमित अभ्यास सत्र में आने वाले खिलाड़ी छात्रों का ही चयन कॉलिज टीम में होगा और खेल का अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा तो टीम

में उसका चयन नहीं किया जाएगा।

11. ''खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा'' पाठ्यक्रम के प्रयोगात्मक सत्र में समय सारणी के अनुसार उपस्थित होना अनिवार्य है।
12. खेल के मैदान को साफ रखना और उसे गंदा होने से रोकना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है क्योंकि आपके द्वारा फैलाई गन्दगी को आप जैसा व्यक्ति ही साफ करता है'' खेल के मैदान में कागज फाड़कर फेंकना, खाद्य वस्तु खाना तथा उसे फैलाना आदि मना है।
13. छात्रों में ''खेल भावना'' का विकास और उनमें खेल संस्कृति पैदा करने में सहयोग करने एवं प्रेरित करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रीड़ा विभाग द्वारा नामांकित कर विशेष पुरस्कार दिया जाएगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी द्वारा उन्हें सम्मानित कराया जाएगा।
14. महाविद्यालय का खिलाड़ी छात्र अपने से कम उम्र वर्ग एवं स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में कहीं भी खेलता पाया जाएगा तो उसे तत्काल निष्कासित कर दिया जाएगा।
15. सभी खेल सूचना खेल विभाग के नोटिस बोर्ड पर ही लगाई जायेंगी। खेल या अन्य सूचना के लिये नोटिस अवश्य देखें।

(vii) हेल्प डेस्क : छात्रों की महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। जिसमें शिक्षकों की टीम द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो समस्याऐं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं, उन समस्याओं के समाधान हेतु महाविद्यालय का एक कर्मचारी निरन्तर विश्वविद्यालय जाकर उन समस्याओं का निस्तारण करता है।

(viii) कॉलिज पत्रिका : कॉलिज पत्रिका 'प्रदीप' छात्रों को स्वतन्त्र लेखन एवं पत्रकारिता के विकास को सुअवसर प्रदान करती है। प्राध्यापकों के निर्देशन में पत्रिका का सम्पादन होता है । छात्र अपनी मौलिक रचनाएँ संपादक को दे सकते हैं।

(ix) अन्य सुविधाएँ : कॉलिज परिसर में डाकघर एवं कॉलिज के निकट भारतीय स्टेट बैंक की शाखा स्थित है। साथ ही कॉलिज छात्राओं की सुविधा हेतु ''महिला छात्रावास'' को शीघ्र ही प्रारम्भ करने की योजना है।

- **स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, सन्तोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा सम्बन्ध है।** **-भगवान बुद्ध**

- **सबसे अँधरी रात अज्ञानता है।** **-भगवान बुद्ध**

13. शिक्षक वर्ग

डॉ०ह`मप्र काश,प्र ाचार्य

हिन्दी विभाग

1. डॉ0 वेदवती राठी — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. श्री राज मणि सरोज — असिस्टेंट प्रो0
3. श्री नन्द राम — असिस्टेंट प्रो0
4. रिक्त – 6 पद

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ0 हेमप्रकाश — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 बीना अग्रवाल — एसो0प्रो0
3. डॉ0 सविता वार्ष्णेय — एसो0प्रो0
4. डॉ0 नीलम श्रीवास्तव — असिस्टेंट प्रो0
5. रिक्त – 2 पद

संस्कृत विभाग

1. डॉ0 द्वारका नाथ त्रिपाठी — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 पूनम जैन — एसो0प्रो0
3. रिक्त – 2 पद

इतिहास विभाग

1. डॉ0 राजेश कुमार — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ0 इन्दू वार्ष्णेय — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 जुगेन्द्र पाल सिंह — एसो0प्रो0
3. श्री महमूद आलम — एसो0प्रो0
4. डॉ0 क़ैसर आलम — एसो0प्रो0र
5. डॉ0 रुकसाना बेगम — असिस्टेंट प्रोफेसर

सैन्य विज्ञान विभाग

1. डॉ0 हरेन्द्र सिंह — एसो0 प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह — असिस्टेंट प्रो0
3. श्री अमर सिंह — असिस्टेंट प्रो0
4. डॉ0 पंकज कुमार वर्मा — असिस्टेंट प्रो0
5. डॉ0 पी0 के0 सिंह — असिस्टेंट प्रो0
6. रिक्त – 2 पद

भूगोल विभाग

1. डॉ0 भारत सिंह — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0शाहिद इमाम — एसो0प्रो0
3. डॉ0 अवनीश कुमार सिंह — एसो0प्रो0
4. श्री इज़हार अहमद — असिस्टेंट प्रो0
5. श्री जितेन्द्र शर्मा — असिस्टेंट प्रो0
6. श्रीमती मीनाक्षी — असिस्टेंट प्रो0
7. रिक्त – 1 पद

राजनीति शास्त्र विभाग

1. डॉ0 देवेन्द्र कुमार गौड़ — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 मधु कुमारी — एसो0प्रो0
3. श्री निर्मेश कुमार सिंह सैंगर — एसो0प्रो0
4. रिक्त – 1 पद

समाज शास्त्र विभाग

1. डॉ0 नरेन्द्र कुमार जोशी — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. श्री पुनीत कुमार सिंह — एसो0प्रो0
3. रिक्त – 2 पद

मनोविज्ञान विभाग

1. डॉ0 मधुबाला चौहान — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 मंजू सिंह — असिस्टेंट प्रो0
3. डॉ0 दिनेश कुमार गुप्ता — असिस्टेंट प्रो0
4. श्री मोइनुद्दीन — असिस्टेंट प्रो0
5. डॉ0 राम प्रकाश सरना — असिस्टेंट प्रो0
6. रिक्त – 2 पद

चित्रकला विभाग

1. डॉ0 सुनीता गुप्ता — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 ईश्वर चन्द्र गुप्ता — एसो0प्रो0
3. डॉ0 सैयद अली जाफर — एसो0प्रो0
4. श्री रुचिन वर्मा — असिस्टेंट प्रो0

शिक्षा शास्त्र विभाग

1. डॉ0 प्रदीप कुमार — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. श्री निखिल मिश्रा — (स्ववित्त पोषित अनुमोदित प्रवक्ता)

शिक्षक शिक्षा विभाग

1. डॉ0 शशिबाला शर्मा — एसो0प्रो0
2. डॉ0 जयप्रकाश सिंह — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
3. डॉ0 बीना कुमारी — एसो0प्रो0
4. डॉ0 पूनम अग्रवाल — एसो0प्रो0
5. डॉ0 अंजना — एसो0प्रो0
6. डॉ0 सरोज बाला — एसो0प्रो0
7. डॉ0 सुरेन्द्र पाल सिंह — असिस्टेंट प्रो0
8. श्री उमेन्द्र सिंह — असिस्टेंट प्रो0
9. श्री जितेन्द्र कुमार — असिस्टेंट प्रो0
10. श्री सचिन कुमार वर्मा — असिस्टेंट प्रो0
11. रिक्त – 2 पद

गणित विभाग

1. डॉ0 शुभनेश कुमार गोयल — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 प्रवीन राना — एसो0प्रो0
3. डॉ0 ज्योत्सना चन्देल — एसो0प्रो0
4. डॉ0 विशाल कुमार यादव — असिस्टेंट प्रो0
5. श्रीमती हेमलता सहाय — असिस्टेंट प्रो0
6. रिक्त – 1 पद

भौतिकी विभाग

1. डॉ0 मंजू गिरि — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 आर0 एन0 चक्रवर्ती — एसो0प्रो0

3. डॉ0 जयप्रकाश गुप्ता — एसो0प्रो0
4. डॉ0 जसकरन सिंह — एसो0प्रो0
5. डॉ0 विनय कुमार सिंह — एसो0प्रो0
6. डॉ0 हरिकेश सिंह — एसो0प्रो0
7. डॉ0 कविशंकर वार्ष्णेय — एसो0प्रो0
8. श्री अमित कुमार — असिस्टेंट प्रो0
9. श्री अजय कुमार — असिस्टेंट प्रो0
10. श्री सौरभ कुमार सेंगर — असिस्टेंट प्रो0
11. रिक्त – 1 पद

रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ0 सुभाष चौधरी — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 रेनू सिंघल — एसो0प्रो0
3. डॉ0 राजेश कुमार अग्रवाल — एसो0प्रो0
4. डॉ0 अनीता ए0 पाण्डेय — एसो0प्रो0
5. डॉ0 अब्दुल मन्नान — एसो0प्रो0
6. डॉ0 अंजुल सिंह — एसो0प्रो0
7. डॉ0 दिलीप गुप्ता — एसो0प्रो0
8. डॉ0 शमीम अहमद — एसो0प्रो0
9. डॉ0 कमल कुमार श्रीवास्तव — एसो0प्रो0
10. डॉ0 विनय कुमार श्रीवास्तव — एसो0प्रो0
11. डॉ0 अमित चौधरी — असिस्टेंट प्रो0
12. डॉ0 अंशु अग्रवाल — एसो0प्रो0
13. डॉ0 शरद कुमार सिंह चौहान — असिस्टेंट प्रो0
14. डॉ0 बीना चौहान — असिस्टेंट प्रो0
15. डॉ0 आभा गुप्ता — असिस्टेंट प्रो0
16. डॉ0 राजीव कुमार शर्मा — असिस्टेंट प्रो0
17. डॉ0 राम निवास — असिस्टेंट प्रो0
18. श्री विदिव्य — असिस्टेंट प्रो0
19. श्री देवेन्द्र कुमार — असिस्टेंट प्रो0
20. श्री धर्मेन्द्र सिंह — असिस्टेंट प्रो0
21. रिक्त – 4 पद

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ0 शीबा — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. श्री विनय कुमार — एसो0 प्रो0
3. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार — एसो0 प्रो0
4. श्रीमती पारूल यादव — एसो0प्रो0
5. डॉ0 मीरा सिंह — एसो0प्रो0
6. श्री बाबूराम सिंह — असिस्टेंट प्रो0
7. डॉ0 रूचि अग्रवाल — असिस्टेंट प्रो0
8. श्री पवन कुमार — असिस्टेंट प्रो0
9. कु0 पूजा कुमारी — असिस्टेंट प्रो0
10. श्री फहद अली — असिस्टेंट प्रो0
11. रिक्त – 3 पद

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ0 कमल सिंह — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 मुकेश कुमार भारद्वाज — एसो0प्रो0
3. डॉ0 प्रबोध श्रीवास्तव — एसो0प्रो0
4. डॉ0 आस्तिक कुमार वत्स — एसो0प्रो0
5. श्री हरेन्द्र सिंह — असिस्टेंट प्रो0
6. डॉ0 ललित कुमार — असिस्टेंट प्रो0
7. श्री संदीप कुमार यादव — असिस्टेंट प्रो0
8. श्री सुनील कुमार — असिस्टेंट प्रो0
9. श्री चन्द्रकान्त — असिस्टेंट प्रो0
10. रिक्त – 5 पद

भूगर्भ विज्ञान विभाग

1. डॉ0 वाई0 पी0 सिंह — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. रिक्त – 5 पद

विधि विभाग

1. डॉ0 हरीश कुमार शर्मा — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. डॉ0 शरत राज सिंह — एसो0 प्रो0
3. डॉ0 मीनाक्षी गुप्ता — असिस्टेंट प्रो0
4. रिक्त – 8 पद

वाणिज्य संकाय

1. **व्यावसायिक प्रशासन विभाग**
   श्री अतुल मित्तल — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
2. **व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग**
   डॉ0 अपूर्व चतुर्वेदी — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
3. **लेखा एवं विधि विभाग**
   डॉ0 पी0 के0 जैन — एसो0प्रो0 एवं प्रभारी
1. डॉ0 मोहित सक्सैना — (स्ववित्त पोषित, अनुमोदित प्रवक्ता)
2. डॉ0 जे0के0 शर्मा — (स्ववित्त पोषित, अनुमोदित प्रवक्ता)
3. डॉ0 रश्मि अग्रवाल — (स्ववित्त पोषित, अनुमोदित प्रवक्ता)
4. डॉ0 गिरीश बाबू — (स्ववित्त पोषित, अनुमोदित प्रवक्ता)
5. डॉ0 राजेश कुशवाह — (स्ववित्त पोषित, अनुमोदित प्रवक्ता)
6. डॉ0 योगेश चौधरी — (स्ववित्त पोषित, अनुमोदित प्रवक्ता)

शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग

1. डॉ0 अजय कुमार सिंह — खेल प्रशिक्षक
2. रिक्त – 1 पद

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की सूची :

BCA विभाग

1. डॉ0 मोनिका वार्ष्णेय — प्रवक्ता एवं प्रभारी
2. श्री आशीष प्रकाश — प्रवक्ता
3. श्रीमती नूपुर सिंह — प्रवक्ता

4. श्रीमती कुमुद — प्रवक्ता
5. श्री अंकित उपाध्याय — प्रवक्ता
6. श्रीमती ऊषा गान्धार — प्रवक्ता
7. श्रीमती मीनाक्षी — प्रवक्ता
8. श्री प्रतीक अग्रवाल — प्रवक्ता

BBA विभाग

1. श्रीमती योगिता सिंह — प्रवक्ता एवं प्रभारी
2. डॉ0 अस्मिता श्रीवास्तव — प्रवक्ता
3. श्रीमती स्वाती जैन — प्रवक्ता

PGDBM विभाग

1. डॉ0 आर0 रहमान — प्रवक्ता

तृतीय श्रेणी-कार्यालय

1. श्री रविकान्त सविता — आशुलेखक
2. श्री एस0 के0 श्रीवास्तव — कार्यालय अधीक्षक
3. श्री तेजवीर सिंह — वरि0 सहायक
4. श्री सुबोध जौहरी — कनिष्ठ सहायक
5. श्रीमती कान्ती — कनिष्ठ सहायक
6. श्री राजीव कुमार — कनिष्ठ सहायक
7. श्री रवि चन्द्रा — कनिष्ठ सहायक
8. श्री चन्दन सिंह विष्ट — कनिष्ठ सहायक
9. श्री विनोद कुमार — कनिष्ठ सहायक

तृतीय श्रेणी-पुस्तकालय :

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह — पुस्तकालय सहायक
2. श्री चन्द्रकेश सिंह — पुस्तकालय सहायक

तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा — प्रयोगशाला सहायक
2. श्री नरेन्द्र पाल सिंह — प्रयोगशाला सहायक
3. श्री बल्लू सिंह — प्रयोगशाला सहायक
4. श्री प्रवीन कुमार — प्रयोगशाला सहायक
5. श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह — प्रयोगशाला सहायक
6. श्री राकेश कुमार — प्रयोगशाला सहायक
7. श्री दीपक कुमार — प्रयोगशाला सहायक

चतुर्थ श्रेणी स्टाफ

1. श्री जंग बहादुर — अर्दली
2. श्रीमती उमेश कुमारी — परिचर
3. श्री रामवीर सिंह — परिचर
4. श्री कोमल सिंह — परिचर
5. श्री मैम्बर सिंह — परिचर
6. श्री सत्य प्रकाश — परिचर
7. श्रीमती उर्मिला — परिचर
8. श्री आमोद कुमार सिंह — परिचर
9. श्री दुर्गेश कुमार — परिचर
10. श्री कैलाश चन्द्र — वाटरमैन
11. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह — बुकलिफ्टर
12. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल — पुस्तकालय परिचर
13. श्री सतीश कुमार सिंह — पुस्तकालय परिचर
14. श्री अनिल कुमार मौर्य — पुस्तकालय परिचर
15. श्री श्रीकान्त सविता — पुस्तकालय परिचर
16. श्री प्रमोद कुमार — पुस्तकालय परिचर
17. श्री बृजराज सिंह — प्लम्बर
18. श्री राम प्रकाश — प्रयोगशाला परिचर
19. श्री वीरेन्द्र सिंह — प्रयोगशाला परिचर
20. श्री राज कुमार — प्रयोगशाला परिचर
21. श्री बिजेन्द्र पाल सिंह — प्रयोगशाला परिचर
22. श्री श्यामवीर सिंह — प्रयोगशाला परिचर
23. श्री गनेश पाल — प्रयोगशाला परिचर
24. श्री प्रेमशंकर पाली — प्रयोगशाला परिचर
25. श्री लालू बाज — प्रयोगशाला परिचर
26. श्री संतोष कुमार — प्रयोगशाला परिचर
27. श्री पन्ना लाल — प्रयोगशाला परिचर
28. श्री तेजवीर सिंह — प्रयोगशाला परिचर
29. श्री दिगम्बर सिंह — प्रयोगशाला परिचर
30. श्री प्रदीप कुमार — प्रयोगशाला परिचर
31. श्री अनिल कुमार — प्रयोगशाला परिचर
32. श्री गोविन्द बाबू वर्मा — प्रयोगशाला परिचर
33. श्री शशीपाल सिंह — प्रयोगशाला परिचर
34. श्रीमती डौली — प्रयोगशाला परिचर
35. श्री धर्मवीर सिंह — प्रयोगशाला परिचर
36. श्री महेन्द्र पाल सिंह — माली
37. श्री धर्मेन्द्र कुमार मौर्य — माली
38. श्री करन पाल सिंह — गैसमैन
39. श्री अशोक — भिश्ती
40. श्री मनोज कुमार — स्वीपर
41. श्री अरुन कुमार — स्वीपर
42. श्री सुभाष चन्द्र — चौकीदार
43. श्री रामभूल सिंह — चौकीदार
44. श्री राजकुमार भारती — चौकीदार

विभिन्न समितियों के संयोजक

प्रवेश संयोजक		:	डॉ0 आर0 एन0 चक्रवर्ती
प्रवेश प्रभारी	विज्ञान (पी0सी0एम0)	:	डॉ0 राजेश अग्रवाल
	विज्ञान (जेड0बी0सी0)	:	डॉ0 वीरेन्द्र कुमार वार्ष्णेय
	कला	:	डॉ0 बीना अग्रवाल
	वाणिज्य	:	डॉ0 पी0 के0 जैन
	विधि	:	डॉ0 शरतराज सिंह
	शिक्षक शिक्षा	:	डॉ0 जय प्रकाश सिंह
समय सारिणी प्रभारी	विज्ञान	:	डॉ0 एस0 के0 गोयल
	कला	:	डॉ0 सुनीता गुप्ता
			डॉ0 महमूद आलम
	वाणिज्य	:	डॉ0 ए0 के0 चतुर्वेदी
डीन स्टूडेन्ट वैलफेयर		:	डॉ0 बीना अग्रवाल
महिला प्रकोष्ठ		:	डॉ0 अंजना
एन0एस0एस0 अधिकारी		:	डॉ0 सुनीता गुप्ता
			डॉ0 सुभाष चौधरी
एन0सी0सी0 अधिकारी (पुरुष)		:	डॉ0 हेम प्रकाश
एनसी0सी0 अधिकारी (महिला)		:	डॉ0 मंजू सिंह
हेल्प डेस्क प्रभारी		:	डॉ0 डी0 के0 गौड़
			श्री उमेन्द्र सिंह
समन्वयक राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय		:	डॉ0 आर0 एन0 चक्रवर्ती
प्रभारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम		:	डॉ0 बीना अग्रवाल
सह–प्रभारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम		:	डॉ0 राजेश अग्रवाल
सह–प्रभारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम		:	डॉ0 नीलम श्रीवास्तव
सह–प्रभारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम		:	डॉ0 सुरेन्द्र पाल सिंह
जन सम्पर्क अधिकारी		:	डॉ0 सुनीता गुप्ता
सह जन सम्पर्क अधिकारी		:	डॉ0 राजेश कुमार, इतिहास
			श्री चन्द्रकान्त
			श्री सचिन कुमार वर्मा
परीक्षाप्रभारी		:	डॉ0 डी0 के0 गौड़
प्रोफेसर इंचार्ज, प्रभारी पुस्तकालय		:	डॉ0 बीना अग्रवाल
प्रोफेसर इंचार्ज, सह–प्रभारी पुस्तकालय		:	डॉ0 वाई0 पी0 सिंह
क्रीड़ा सचिव		:	श्री अतुल मीतल
प्रभारी, महिला छात्रावास		:	डॉ0 अंजुल सिंह
संयोजक पत्रिका प्रकाशन समिति		:	डॉ0 जे0 पी0 सिंह, बी0एड0
सह–संयोजक, पत्रिका प्रकाशन समिति		:	डॉ0 बीना अग्रवाल
सदस्य, पत्रिका प्रकाशन समिति		:	डॉ0 पी0 के0 जैन
			डॉ0 वीरेन्द्र कुमार वार्ष्णेय
			डॉ0 एस0 के0 गोयल
			डॉ0 सुरेन्द्र पाल सिंह

प्रभारी, अतिथिगृह एवं स्टाफ क्वाटर्स	:	डॉ0 शरत राज सिंह
मार्गदर्शक, अतिथिगृह एवं स्टाफ क्वाटर्स	:	डॉ0 राजेश अग्रवाल
प्रभारी, फर्नीचर व्यवस्था	:	डॉ0 हरीश शर्मा
सह–प्रभारी, फर्नीचर व्यवस्था	:	डॉ0 वीरेन्द्र कुमार वार्ष्णेय
प्रभारी, विद्युत एवं जल आपूर्ति	:	डॉ0 जे0 पी0 सिंह, बी0एड0
सह–प्रभारी, विद्युत एवं जल आपूर्ति	:	डॉ0 शरद कुमार सिंह चौहान
जन सूचना अधिकारी	:	डॉ0 शरत राज सिंह
सहायक जन सूचनाधिकारी	:	डॉ0 राजेश कुमार, इतिहास
उद्यान प्रभारी	:	डॉ0 प्रबोध श्रीवास्तव
सह उद्यान प्रभारी	:	डॉ0 ललित कुमार
ऑडिटोरियम प्रभारी	:	डॉ0 मुकेश भारद्वाज
प्रभारी, भवन	:	श्री अतुल मित्तल
सह–प्रभारी, भवन	:	डॉ0 प्रबोध श्रीवास्तव

रिसर्चड वलपमेन्टक मैटीः

संयोजक	:	प्राचार्य
सदस्य	:	डॉ0 इन्दु वार्ष्णेय
सदस्य	:	डॉ0 आर0 एन0 चक्रवर्ती
सदस्य	:	डॉ0 जे0 पी0 सिंह; बी0एड0

वार्षिक शुल्क विवरण तथा सारणी

विद्यार्थियों द्वारा सत्र 2019–20 में निम्नवत वार्षिक शुल्क जमा करना होगा

स्नातक स्तर

1.	बी0कॉम0 प्रथम वर्ष	रु0 2784.00
2.	बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष	रु0 2486.00
3.	बी0कॉम0 तृतीय वर्ष	रु0 2486.00
4.	**बी०ए० प्रथम वर्ष**	
	बिना प्रयोगात्मक विषय	रु0 2784.00
	एक प्रयोगात्मक विषय	रु0 3249.00
	दो प्रयोगात्मक विषय	रु0 3489.00
5.	**बी०ए० द्वितीय एवं तृतीय वर्ष**	
	बिना प्रयोगात्मक विषय	रु0 2486.00
	एक प्रयोगात्मक विषय	रु0 2951.00
	दो प्रयोगात्मक विषय	रु0 3191.00
6.	**बी०एस-सी० प्रथम वर्ष**	
	दो प्रयोगात्मक विषय	रु0 3499.00
	तीन प्रयोगात्मक विषय	रु0 3739.00
7.	**बी०एस-सी० द्वितीय**	
	दो प्रयोगात्मक विषय	रु0 3201.00
	तीन प्रयोगात्मक विषय	रु0 3441.00
8.	**बी०एस-सी० तृतीय**	रु0 3201.00
9.	**एल०एल०बी०**	
	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	रु0 3070.00
10.	**बी०एड० प्रथम वर्ष**	रु0 5076.00
11.	**बी०एड० द्वितीय वर्ष**	रु0 5076.00

परास्नातक स्तर

1.	एम0ए0 प्रथम वर्ष (बिना प्रयोगात्मक विषय)	रु0 3040.00	वार्षिक
2.	एम0ए0 प्रथम वर्ष (प्रयोगात्मक विषय)	रु0 3505.00	,,
3.	एम0ए0 द्वितीय वर्ष (बिना प्रयोगात्मक विषय)	रु0 3242.0	,,
4.	एम0ए0 द्वितीय वर्ष (प्रयोगात्मक विषय)	रु0 3507.00	,,
5.	एम0एस–सी0 प्रथम वर्ष (रसायन विज्ञान)	रु0 3592.00	,,
6.	एम0एस–सी0 द्वितीय वर्ष (रसायन विज्ञान)	रु0 3592.00	,,
7.	एम0ए0-I (गणित) / एम0एस–सी0 प्रथम वर्ष (गणित)	रु0 3242.00	,,
8.	एम0ए0-II (गणित) / एम0एस–सी0 द्वितीय वर्ष (गणित)	रु0 3242.00	,,
9.	एम0एस–सी0 प्रथम वर्ष (भूगर्भ, भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान)	रु0 3532.00	,,
10.	एम0एस–सी0 द्वितीय वर्ष (भूगर्भ, भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान)	रु0 3532.00	,,
11.	एम0एड0-I	रु0 9154.00	,,
12.	एम0एड0-II	रु0 9154.00	,,

नोट :

1. यदि महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसी शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदानुसार छात्रों से संशोधित शुल्क लिया जायेगा।
2. शासनादेशानुसार छात्राओं को शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। तद्नुसार छात्राओं से शुल्क लिया जायेगा।

13. धर्म समाज कॉलिज, अलीगढ़ (उ० प्र० शासन एवं भीमराव अम्वेदकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क सारणी 2019-2020)

क्र. सं.	कक्षाएँ / शुल्क के प्रकार	बी.ए./बी.कॉम प्रवेश के समय	बी.एस-सी. प्रवेश के समय	एम.ए./एम.एस-सी. (गणित) प्रवेश के समय	एम.एस-सी. अन्य विषय प्रवेश के समय	बी.एड. प्रवेश के समय	एम.एड. प्रवेश के समय	विधि (त्रिवर्षीय) प्रवेश के समय
	वार्षिक शुल्क							
1.	विकास	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.	प्रवेश	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.	पंजीकरण	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
4.	ग्रीष्म एवं शीत	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
5.	छात्र कल्याण कोष	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00
6.	पंखा	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7.	परिचय पत्र	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
8.	पत्रिका	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
9.	वार्षिकोत्सव	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
10.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
11.	परीक्षा	1500.00	1700.00	2200.00	2200.00	4000.00	8070.00	1700.00
12.	पुस्तकालय	30.00	30.00	38.00	38.00	30.00	38.00	30.00
13.	विज्ञान प्रासंगिक प्रभार	–	35.00	–	50.00	–	–	–
14.	कॉलिज भवन रख-रखाव शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
15.	पुस्तकालय प्रासंगिक प्रभार	30.00	30.00	–	30.00	30.00	30.00	30.00
16.	शिक्षण	132.00	132.00	180.00	180.00	216.00	216.00	216.00
17.	मंहगाई भत्ता	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
18.	निर्धन छात्र सहायता कोष	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
19.	क्रीड़ा	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
20.	बी0सी0आई0 फीस	–	–	–	–	–	–	300.00
	कुल योग	**2486.00**	**2721.00**	**3242.00**	**3292.00**	**5076.00**	**9154.00**	**3070.00**
	नोट : 1. कला प्रासंगिक प्रभार (प्रो० विषय के छात्रों वार्षिक) 2. कला प्रयोगात्मक विषय	25.00 20.00 प्रतिमाह प्रति प्रयो० विषय	20.00 प्रतिमाह प्रति प्रयो० विषय	25.00 20.00 प्रतिमाह	रसायन विज्ञान 25.00 20.00 जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान प्रतिमाह			

1. बी0ए0 के ऐसे छात्र जिन्होंने प्रयोगात्मक विषय लिया है, उनके परीक्षा शुल्क रु0 200/– अतिरिक्त लिया जायेगा। 2. नामांकन शुल्क बी0ए0, बी0कॉम0 एवं बी0एस–सी0 के छात्रों को रु0 300/– मात्र अलग से देना होगा। 3. टी0सी0 शुल्क रु0 2.00 कॉलिज से स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करते समय देय है।

4. **यदि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय/उ0प्र0 शासन द्वारा शुल्क परिवर्तित होकर आती है उस दशा में शुल्क उसके अनुसार देय होगी।**